हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

10 मार्च, 1980

खण्ड 1, अंक 6

अधिकृत विवरण

विशय सूची

सोमवार, 10 मार्च, 1980

पृश्ठ संख्या

तारांकित प्र न एवं उत्तर	(6)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर	(6)23
अतारांकित प्र न एवं उत्तर	(6)25
औचित्य प्र नः—	
बगैर लाईसैंस आदि के अवैध तौर पर कारें चलाने सम्बन्धी	(6)27
वर्श 1980—81 का बजट पे ा करना	(6)29

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 10 मार्च, 1980

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर – 1, चण्डीगढ़ में, 14.00 बजे हुई। अध्यक्ष (कर्नल राव राम सिंह) ने अध्यक्षता की।

ताराँकित प्र न एवं उत्तर

Mr. Speaker: Hon. Members, Question Hour.

Change in the policy of auction of Liquor vends

***1456 Ch. Jagjit Singh Pohloo:** Will the Minister for Finance be pleased to sate whether there is any policy under consideration of the Government to change the auction system of liquor vends in the state during the year 1980-81, if so, the details thereof?

वित्त मंत्री (लाला बलवन्त राय तायल):

भाग–1 = जी नही।

भाग–।। = प्र न ही उत्पन्न नही होता।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: स्पीकर साहब, जब से हमारे प्रैजेन्ट चीफ मिनिस्टर साहब ने सत्ता संभाली है, तब से ही

नही बल्कि हरियाणा में पिछली वजारत के समय से भी हमारे यहां कोई अंगूर की भाराब बनाने की फैक्ट्री नही थी। क्या मौजूदा सरकार के विचारधीन कोई ऐसी प्रोपोजल है कि अंगूर की भाराब बनाने की कोई इंडस्ट्री हरियाणा में लगाई जाये?

लाला बलवन्त राय तायलः मेन सवाल से तो यह पैदा ही नही हेाता। अगर इस क्वै चन के लिये से सैपरेट नोटिस देंगे, जो जवाब दे दिया जायेगा।

चौधरी राम लाल वधवाः सरकार ने पिछले दिनों एक सिस्टम बनाया था कि फीस लेकर दुकान खोलने की इजाजत दी जायेगी और उसे अलावा आक ान सिस्टम भी है, क्या आक ान सिस्टम से ज्यादा फायदा है या फीस लेकर दुकान खोलने की इजाजत देने से?

लाल बलवन्त राय तायलः आक ान सिस्टम से।

चौधरी संत कंवरः सरकार की तरफ से जो ठेके दिये जाते है, उनके लिये सरकार कोटा भी निर्धारित करती है कि इतनी भाराब यहां पर बिकेगी लेकिन क्या सरकार के नोटिस में यह बात आयी है कि ठेकेदार नकली भाराब, कैपसूल वाली भाराब या किसी और किस्म से गड़बड़ी करके भाराब बेचते है और क्या कुछ ठेकेदार इस हेरा–फेरी में पकड़े भी गए है?

लाला बलवन्त राय तायलः सर, वैसे तो यह सवाल पैदा नही होता है। लेकिन फिर भी मै इन्हें बता देता हूं कि अगर कोई

इस किस्म की ि ाकायत हमारे नोटिस में आती है तो हमारे इंस्पैक्टर वहां पर जाकर चैकिंग करते है, ि ाकायत ठीक पायी जाने पर चालान भी करते है और हम उनके खिलाफ एक ान भी लेते है।

कामरेड भांकर लालः स्पीकर साहब, भाराब में बड़ी भारी मात्रा में मिलावट होती है, कोई कैपसूल डाल कर करता है कोई पानी डालकर और कोई किसी दूसरे से। ऐसे कामों के लिए कई–कई फैक्ट्रियां लगी हुई है। ऐसी ही एक–दो फैक्ट्रियों को पकड़ने के लिये कोई वि ोश प्रबन्ध करेगी?

लाला बलवन्त राय तायलः ऐसी फैक्ट्रियों को पकड़ने के लिये हमारे पास एक्साईज डिपार्टमैंट का काफी स्टाफ है जो चैकिंग करता रहता है। जब कोई ि ाकायत उनके नोटिस में आये, तो हम उनकी वि ोश तौर पर चैकिंग करते है और चालान वगैरा भी करते है।

सरदार सुखदेव सिंहः स्पीकर साहब, मै वित्त मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि लोक दल की सरकार के समय जो भाराब की दुकानों के बारें में पालिसी को बदल कर स्टेट को नुक्सान हुआ है उसे बारें में क्या सरकार इन्कवायरी करवाने के लिए तैयार है? (ाोर व व्यवधान)

Mr. Speaker: It is not concerned with this question.

श्री भले रामः स्पीकर साहब, मै सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि नकली या मिलावट वाली भाराब पीने से हरियाणा में कितने आदमियों की मौते हुई है?

श्री अध्यक्षः यह सवाल से सम्बन्धित तो नही है लेकिन अगर मंत्री महोदय के नोटिस में ऐसी कोई बात है तो वह बता सकते है।

लाला बलवन्त राय तायलः स्पीकर साहब, चौधरी भले राम जी का यह सवाल है कि मिलावट वाली भाराब पीने से कितने आदमियों की मौतें हुई है, इसके लिए अगर वे सैपरेट नोटिस देगे तो मै ऐसे केसिज मालूम करके बात सकता हूं।

चौधरी हरस्वरूप बूराः मंत्री जी ने अभी फरमाया है कि हमारे पास एक्साईज महकमें में काफी आदमी है जो चैकिंग करते रहते है। दर–हकीकत बात यह है कि जहां पर एडल्ट्रेटिड भाराब बिकती हो, जो काई भी इन्सपैक्अर वहां पर चैकिंग के लिए जाता है तो वह वहां से 5–7 बोतले अपनी कार में डाल कर चला आता हैं फिर उसकों खुली छुट्टी मिल जाती है कि वह चाहे कितनी ही एडल्ट्रेटिड भाराब बेचे। क्या सरकार इस बात के लिये कोई प्रबन्ध करेगी कि ऐसे केसिज में इन्सपैक्टर चैकिंग न करें, बल्कि आपके यहां से सरप्राईज चैकिंग हो?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, मै हाउस को यह बताना चाहता हूं कि ऐसे केसिज में अकेला

एक्साईज डिपार्टमैंट ही चैकिंग नही करता बल्कि पुलिस के सीनीयर अधिकारी भी बाकायदा उस काम में भाामिल होते है। जहां किसी जगह से ि ाकायत मिलती है या कोई आदमी हमारे नोटिस में ऐसी बात लाये कि फला जगह मिलावट की भाराब बिकती है या वहां पर फैक्ट्री खोल रखी है या गलत तरीके से पानी वगैरा मिलाकर भाराब बेचते है या कोई बाहर से दूसरी स्टेट से भाराब लाकर बेचता है, तो वहां पर पुलिस के अधिकारी और हमारे एक्साईज डिपार्टमैंट के अफसर भी चैकिंग करते है। मै यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम इस मामले में किसी को भी किसी किस्म की रियायत नही देगे और अगर कोई ऐसा केस पकड़ा जायेगा तो उसके खिलाफ पूरी कार्यवाही करेंगे।

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने यह बताया है कि नीलामी करने में फायदा है, मुझे यह पता नही है कि देसी या अंग्रेजी भाराब में से कौन सी भाराब की दुकानों की नीलामी होती है और कौन सी वैसे ही दे दी जाती हैं क्या सरकार उन दुकानों को भी जो नीलामी द्वारा नही दी जाती है, नीलामी द्वारा देने पर विचार करेगी?

लाल बलवन्त राय तायलः स्पीकर साहब, देसी भाराब की दुकानो की नीलामी की जाती है और अंग्रेजी भाराब की दुकानों का तो लाइसैंस लेना होता है।

श्री हीरा नन्द आर्यः क्या सरकार अंग्रेजी भाराब की दुकानों की नीलामी करने का कोई विचार रखती है?

चौधरी भजन लालाः अध्यक्ष महोदय, अंग्रेजी भाराब पर हमने 22 रूपये प्रति बोतल के हिसाब से डियूटी लगायी हुई है। देसी भाराब की दुकानें बाकायदा नीलामी द्वारा दी जाती है और उसी तरह से ही अंग्रेजी भाराब की दुकानें भी नीलाम की जाती है।

श्री भाम ोर सिंहः यह जो मैल–प्रैक्टिसिज है, जैसे भाराब में मिलावट की बात है या कैपसूल डालने की बात है या कोई और बात है, यह इस वजह से होती है क्योंकि एक्साईज डिपार्टमैंट में आक ान करने वाला और एन्फोर्समैंट वाला स्टाफ वही होता है। कहने का मतलब यह है कि ई०टी०ओ० और इन्सपैक्टर वगैरह ही आक ान करने वाले होते है और वही चैकिंग करने वाले होते है। क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि एन्फोर्समैंट स्टाफ सैपरेट हो?

लाला बलवन्त राय तायलः एन्फोर्समैंट पावर्ज एक्साईज वालों के साथ–साथ पुलिस वालों के पास भी है और वे भी इनकी चैकिंग कर सकते है।

श्री भाम ोर सिंहः मेरा सवाल यह है कि क्या एक्साईज डिपार्टमैंट के अन्दर ही एन्फोर्समैंट के लिये अलग से स्टाफ क्रिएट किया जायेगा?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, हमने ई०टी०सी० हैडक्वार्टर को यही काम दिया हुआ है। अगर इनके नोटिस में कोई ऐसी बात हो तो यह हमारे नोटिस में लायें, सरकार ऐसी ि ाकायतों पर पूरी कार्यवाही करेगी। इसके बारें में हम गौर करेंगे कि इस काम के लिये एक अलग सैल कायम हो।

श्री भागी रामः यहां पर भाराब की दुकानों की बात चल रही है मै सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह तथ्य है कि हरेक जिला हैडक्वार्टर पर भाराब की दुकानों के अन्दर ही गोडाउन्ज बने हुए होते है और उन गोडाउन्ज के अन्दर बड़े–बड़े टब्ब पड़े होते है जहां कैपसूल या स्पिरिट या पानी वगैरा मिलाया जाता है? (व्यवधान व भाोर)

(इस प्र न का उत्तर नही दिया गया)

चौधरी गंगा रामः स्पीकर साहब, हरियाणा की कांग्रेस सरकार की भाराब के बारे में लिवरल पालिसी है। इस लिबरल पालिसी के तहत मै मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या जैसे हरियाणा के अन्दर 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम लागू है उसी तरह से काम के बदले भाराब की एक बोतल स्कीम भी चलायी जायेगी? (हंसी व भाोर)

(इस प्र न का उत्तर नही दिया गया)

चौधरी राम लाल वधवाः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि वर्श 1980–81 में भाराब के ठेके बढ़ाने का विचार है, अगर बढ़ाने का विचार है तो कितने ठेके बढ़ाने का विचार है?

लाल बलवन्त राय तायलः कोई ठेका बढ़ाने का विचार नही है। अगर किसी पंचायत की तरफ से ठेका खुलवाने के लिए रिक्वैस्ट आएगी तो उस पर विचार किया जाएगा।

श्री फतेह चन्द विजः अध्यक्ष महोदय, मंत्री होदय ने बताया है कि देसी भाराब के ठेके दिए जाते है और अंग्रेजी भाराब का लाइसैस दिया जाताहै। मै मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि वे अपनी फाइल देखकर बताएं कि जिन लोगों ने अंग्रेजी भाराब के ठेके लेने के लिए दरखास्ते दी थी उन लोगों को भाराब के ठेके नीलामी के थ्रू दिए गए थे या लाइसैस के थ्रू दिए गए थे?

लाला बलवन्त राय तायलः अभी तो देने है।

श्रीमती सुशमा स्वराजः स्पीकर साहब, चौधरी देवी लाल से समय में भाराब के ठेके के नीलामी सिस्टम में परिवर्तन किया गया था और उससे राजस्व में घाआ हुआ था। लेकिन इस ट्रेड की मोनोपली टूट गई थी। नीलामी के सिस्टम में कुछ अमीर लोगों की मोनोपली बनी हुइ थी और वे ही लोग भाराब के ठेके ले जाते थे। अब फिर नीलामी सिस्टम भ्रारू हो गया है। मै मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि क्या वे कोई ऐसा सिस्टम इवाल्व

करने की कृपा करेगे कि जिससे राजस्व का घाटा भी न हो और बड़े और अमीर लोगों की मोनोपली भी खत्म हो जाए?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इसमें मोनोपली का सवाल ही नही है। ओपन औक ान में मोनोपली का सवाल ही नही हो सकता। जो ज्यादा बोली देगा उसकों ठेका मिल जाएगा।

श्रीमती सुशमा स्वराजः स्पीकर साहब, अमीर लोगो की मोनोपली बनी हुई है अमीर लोगों को वे ठेके मिलते है।

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, ऐसी कोई बात नही है। ओपन औक ान में किसी की भी मोनोपली का सवाल नही है।

चौधरी हुक्म सिंहः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने बताया है कि देसी भाराब के ठेके दिए जाते है और अग्रेजी भाराब का लाइसैस दिया जाता है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि अंग्रेजी भाराब के ठेके नीलाम करने में क्या रूकावट है?

लाल बलवन्त राय तायलः स्पीकर साहब, मै अपने पहले जवाब में अमैडमेंट कर देता हूं कि देसी और अग्रेजी दोनों ही किस्म की भाराब के ठेके नीलाम होते है।

श्रीमती डाक्टर कमला वर्माः स्पीकर साहब, दोनो ही भाराब के ठेके दिए जाते है। जैसा कि मंत्री महोदय ने पहले बताया था वैसी बात नही थी। स्पीकर साहब, एक बात और देखने में आई है कि जब भाराब के ठेकों की नीलामी की जाती है तो

एक ही व्यक्ति भिन्न–भिन्न नामों से ठेके ले लेता है और इसी से माल–प्रैक्टिस होती है यानी कि भाराब में मिलावट होती है क्योंकि एक ही व्यक्ति उन सारे ठेकों का कर्ता धर्ता होता है। क्या मंत्री महोदय इस सदन में कोई आ वासन देंगे की वे कोई ऐसा तरीका निलकालेगे जिससे कि एक ही व्यक्ति भिन्न–भिन्न नामों से ठेके न ले सके?

लाल बलवन्त राय तायलः स्पीकर साहब, सुशमा जी ने भी यही कहा था और कमला जी भी यही कर रही है। अगर ये कोई ऐसी तजवीज सरकार के सामने रखें जिससे सरकार का भी नुक्सान न हो और भाराब के ठेके भी दे दिए जाएं तो मुझे कोई एतराज नही होगा।

Annual Consumption of sugar in the State

***1463. Sh. Hira Nand Arya:** Will the Minister for Food and Supplies be pleased to state—

(a) The Total quantity of sugar required per year in the state; and

(b) Whether there is any difference in the quantity of sugar supplied per head in Delhi and Haryana against ration Cards?

खाद्य तथा पूर्ति मंत्री (चौधरी गजराज बहादुर नागर):

(ए) लैवी चीनी = लगभग 60,000 टन

फ्री सेल चीनी = मांग का अनुमान

लगाना सम्भव नही है।

(बी) हां।

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने बताया है कि हरियाणा में लोगों की चीनी की रिक्वायरमैट की असैसमेंट नही लगायी जा सकती है। स्पीकर साहब, जब सरकार को लोगो की चीनी की जरूरत का पता ही नही है कि कितनी आव यकता है तो चीनी के बारें में जो लोगों की दिक्कत है या जो चीनी के बारें में कमियां है उन कमियों को सरकार कैसे पूरा करेगी? मेरे सवाल के 'बी' पार्ट के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया है कि देहली और हरियाणा में जो चीनी दी जाती है उसमें फर्क है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि उसमे क्या फर्क है और उस फर्क को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उइाए है, अगर कोई कदम अभी तक नही उठाए है तो क्यो नही उइाए है?

चौधरी गजराज बहादुर नागरः अध्यक्ष होदय, लैवी की चीनी केन्द्र के अलाट होती है और यह लैवी की चीनी पिछला जो कंजम्प ान का रिकार्ड होता है उसके आधार पर अलाट की जाती है। हमारी स्टेट में जितनी चीनी कंज्यूम हो रही थी उसी के आधार हमें चीनी दी जा रही हैं स्पीकर साहब, उसी तरह से जो फर्क दिल्ली और हरियाणा की कंजम्प ान में था उसी मात्रा से

दिल्ली में सात सौ ग्राम चीनी एक यूनिट को दी जाती है और हमारे यहां चार सौ ग्राम चीनी एक यूनिट को दी जाती है। इसका कारण यह है कि जितनी चीनी पीछे कंज्यूम होती रही उसी के आधार पर बलाटमेंअ हुई। इन्होने दूसरा सवाल यह उठाया है कि स्टेट में चीनी की कंजम्प ान का अन्दाजा क्यों नही लग सकता है कि कितनी चीनी स्टेट के अन्दर कंज्यूम होती हैं स्पीकर साहब, फ्री सेल की चीनी का हमारे पास रिकार्ड नही होता। लैवो की चीनी के ओवर एंड अवव किसी इंडीविजुअल ने कितनी चीनी कंज्यूम की इसका अन्दाजा लगाना फिजिबल नही है।

श्री मांगे राम गुप्ताः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में माना है कि साठ हजार टल लैवी की चीनी हरियाणा सरकार लोगों में बाटती है और जो फ्री सेल की चीनी है उसकी असैसमेंट करना मु कल है। इससे साफ जाहिर है कि लोगों को फ्री सेल की चीनी लेनी पड़ती है और इसका रिकार्ड सरकार के पास नही है। स्पीकर साहब, जो फ्री सेल की चीनी है और लैवी की चीनी है उसके भाव में काफी अन्तर है। क्या मंत्री महोदय लैवी की चीनी की क्वांटिटी बढ़ाकर लोगो की तकलीफ दूर करने की को ा ा करेंगे?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): स्पीकर साहब, यह निर्णय भारत सरकार करती है कि किस स्टेट को लैवी की चीनी कितनी अलाट करनी है और यह अलाटमेंट पिछले साल की कंजम्प ान के आधार पर की जाती है। जितनी पिछले साल खपत

हुई, उसकों बेस बनाकर अलाटमेंट की जाती है। स्पीकर साहब, पिछले सालों में चीनी का भाव कम था इसलिए लैवी की चीनी की मांग कम रही है, स्पीकर साहब, पिछले सालों में चीनी का भाव कम था इसलिए लैवी की चीनी की मांग कम रही, स्पीकर साहब, हम भारत सरकार के साथ इस मामले को टेक–अप करेंगे कि वह हमकों लैवी की चीनी ज्यादा अलाट करें जिससे कि हम लोगों को ज्यादा और सस्ते भाव पर चीनी दे सके।

चौधरी उदय सिंह दलालः स्पीकर साहब, भाहरों में जो चीनी तकसीम हो रही है वह भाहर की आबादी और रा ान–कार्डो के मुताबिक तकसीम की जा रही है लेकिन जो गांव में चीनी तकसीम हो रही है वह 1971 की आबादी के मुताबिक बीस परसेंट और बढ़ाकर तकसीम हो रही है। स्पीकर साहब, किसी भी गांव में पूरी आबादी और पूरे कार्डो के हिसाब से चार सौ ग्राम चीनी किसी को नही मिलती। क्या मंत्री महोदय के नोटिस में यह बात है, और क्या गांवो में आबादी के हिसाब से पूरी चीनी देने की कृपा करेगे?

चौधरी गजराज बहादुर नागरः स्पीकर साहब, जो चीनी अब दी जा रही है वह पिछले रा ान कार्डो के मुताबिक दी जा रही है। मैने इंस्ट्रक ाज दे दी है कि जल्दी से जल्दी दोबारा सारा डैटा तैयार किया जाए। मै यह कंसिडर कर रहा हूं कि चाहे देहात हो या भाहर हो, दोबारा से नए कार्ड सारी स्टेट में इ ाु किए जाए।

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, इन्होने सवाल 'ए' भाग का जो जवाब दिया है वह बड़ा विचित्र है। यह सरकार यह पता नही लगा सकती कि हरियाणा में टोटल किनी चीनी की रिक्वायरमेंट है। ऐसा लगता है कि सवाल का जवाब इवेड किया गया है। मै मंत्री महोदय से रिक्वैस्ट करूंगा कि वे अपना नोट फिर देखे, रिव्यू करें, अगर कही कोई जवाब मिलता हो तो सदन को पूरी इंफरमे ान दें।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इन्होने अपने सवाल में यह पूछा है कि स्टेट को कितनी चीनी अलाट होती है (व्यवधान).....

कई आवाजेः सवाल में यह पूछा गया है कि एक साल में स्टेट को कितनी चीनी की आव यकता होती है। (व्यवधान)

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, जहां तक मै समझता हूं अन्दाजन डेढ़–दो लाख टन चीनी एक साल में हरियाणा प्रांत को चाहिए।

कई आवाजेः अन्दाजन नही (व्यवधान)।

Mr. Speaker: It is quite impossible to work out the firm requirement of the state. I do not think, it has got any relevance to the question. (व्यवधान) हरियाणा की आबादी का पता है? आबादी का पता होने से चीनी की कंजम्प ान का कैसे पता लग सकता हैं कोई आदमी एक सेर चीनी खा जाता है और

कोइ आदमी बहुत कम चीनी खाता है इसलिए ठीक रिक्वायरमैंट का कैसे पता लग सकता है?

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, कंजम्प ान हर साल घअती बढ़ती रहती है।

श्री अध्यक्षः अगर आप चाय पर भी दस आदमियों को बुलाएं तो कोई आदमी दो–तीन चम्मच चीनी लेगा और कोई आदमी एक सम्मत से ही काम चला लेगा। इसलिए ठीक रिक्वायरमैंट का पता लगाना बड़ा मु कल है।

श्री मूल चन्द मंगलाः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में यह माना है कि हरियाण और दिल्ली में लोगों को जो रा ान कार्डो द्वारा भूगर सप्लाई की जाती है, उसमें काफी फर्क है। दिल्ली में पर यूनिट 700 ग्राम और हरियाणा में पर युनिट 400 सप्लाई की जाती है। क्या सरकार के विचारधीन कोई ऐसी स्कीम है जिससे कि यह फर्क दूर किया जा सके?

श्री अध्यक्षः इसका जवाब आ चुका है।

श्री सुरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हसारे देश में और खासकर सारे हरियाणा में चीनी की बहुत कमी है और इस बात को सिविल सप्लाई मंत्री महोदय भी महसूस करते है ओर उनहोने अपने जवाब के पार्ट 'ए' मे यह कहा भी है कि इस वक्त प्रति वर्श स्टेअ में 60,000 टन लैवी की चीनी की ककरवायरमैन्ट हैं मै उनसे यह जानना चाहता हूं कि उन्होने कीी चीनी के कोटे

को बढ़ाने के बारें में केन्द्र सरकार से कोई बातचीत की है कि हरियाणा का चीनी का कोटा बढ़ाया जाए?

चौधरी गजराज बहादुर नागरः स्पीकर साहब,मै अनारेबल मैम्बरकी जानकारी के लिण् यह बातना चहाता हे कि फूड सिविल सप्लाई मिनिस्टर, भारत सरकारसे पीछे मेरी मीटिग हुई थी औरमेने 1 लाख टन चीनी का कोआ हरियाणा स्टेअ के लिए बढ़ाने के बारें में रिकवैस्ट की थी। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मेरे सवाल का जवाब नही आया। मिनिस्टर साहब कह रहे है कि हमने 1 लाख टन की डिमांड की थी और चीफ मिनिस्अर साहब कहर हो कि हमने डेढ़–दो लाख टन की मांग की थी, कौन सी बात सच है?

चौधरी गजराज बहादुर नागरः स्पीकर साहब, यह तो टोटल रिक्वायरमैअ बतायी गयी थी। 1 लाख टन तो लैवी की चीनी की फिगर बताइ गई थी और डेढ़ लाख अन खुली बिकने वाली चीनी की। केन्द्र सरकार से हमने कोआ 60,000 टन करने की रिकवैस्ट की थीं स्पीकर साहब, इनके साथ–साथ मै एक बात और ऐड कर देता हूं कि जो चीनी के कोटे की एलोक ान है, चाहे हरियाणा हो चाहे दूसरी स्टेट्स हो सभी को पिछली कंजम्प ान के बेसिज पर एलोके ानहोती हैं कन्द्र सरकार ने सप्लाई के लिए अपना फार्मूला बना रखा है जिसके आयधर परी चीनी को कोटा स्टेटों को अलाट होता है स्पीकर साहब, मैम्बर

साहेबान भाायद मेरी बात पहले समझ नही पये थे। (ाोर एंव व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंहः मैम्बर आपसे ज्यादा समझते हैं आप खुद तैयारी करके नही आते। (ाोर एवं व्यवंधान)

Mr. Speaker: Surrender Singh Ji, please do not pass any personal remarks, (Interruptions) I will request the Hon'ble Minister to tive a reply, if he can remembe4r, as to what bid was exactly given. (Interruptions)

श्री गुलजार सिंहः स्पीकर साहब, जब से चीनी को भाब बढ़े है तब से गांवों में डिपो होल्डर्ज देहाती लोगों के रा ान कोर्डो को गल्त एन्टरिया अपने रजिस्टरों के करके चीनी इ ू हुई दिखा देते है और जितनी चीनी उने पास सप्लाई के लिये आती है उसे चीनी को वे लोग भाहरों मे ंमंहगे भाव परबेच जाते है और गांव वाले चीनी से महरूम रह जाते है। क्या कोइ ऐसी बात सरकारके नोटिस मे ंहै? अगर ऐसा कोई केस उनके नोटिस में आएगा तो क्या सरकार उस पर कड़े से कड़ा एक ान लेने का विचार रखती है ताकि गरीब देहाती भाईयों के सथ आगे से ऐसा जुल्म न होने पाये?

चौधरी गजराज बहादुर नागरः स्पीकर साहब, जो भी ऐसा केस नजर आया, सरकार की तरफ से उस परएक ान हुआ है। अभी 6 केसिज रजिस्टर भी हो चुके हैं।

Sh. Surender Singh: Speaker Sahib, I would like to know the total production of sugar in the state.

Mr. Speaker: I think, it requires fres notice, The Hon. Minister cannot give the reply now. (Interruptions)

Sh. Surender Singh: Speaker Sahib, half an hour discussionis required on this subject. It is very important matter and needs considerable discussion.

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहेबान, हम रोजना यहां पर आठ–दस क्वै चन्ज पर डिस्क ान करते है अगर हरके पर हाफ एन आवर डिसक ान होने लगे तो there will be no end बजट सै ान के मैम्बर साहेब को बोलने के लिएकोइ अपचुर्ननीटी मिलती है। गवर्नर एड्रै पर, बजट पर और इंडीविजुअल डिमांडज परभी डिसक ान के लिए काफी अपर्नुनीटीज मिलती हैं पिछले कई प्रैसीडैन्टस मैने देख है। हाफ एन आवर के लिए डिस्क ान को कम ही मौका दियाजाता है अभी यहां पर दो सवालों में 25 मिनट का समय लगा गया। इससे ज्यादा और कितना समय दियाजाए? मेरी आनरेबल मैम्बर साहेबानसे यह रिकवैस्ट है कि जो सप्लीमैन्टरी पूछी जाए वह सवाल से सम्बन्धि हो जिससे कि हाउस का समय खराब न हो। जैसा कि अभी भाई सुरेन्द्र जी ने पूछा कि भाूगर की प्रोडक्शन कितनी है अगर इस बारे मे ंपहले कोई नोटिस होता तो मिनिस्टर महोदय उसकस सही जवाद दे सकते थे। इस वक्त पता नही वह इंफर्मे ान मिनिस्टर साहब के पैड पर है या नही।

Procdure adopted for dpurchase of foodgrains

***1459 Ch. Ram Lala Wadhwa:** Will the Minister for Food and supples be pleased to state in procedure adopted for the purchase of foodgrains including paddy by the state Government and the Food Corportation of India together with the rate of purcase of each feodgrain during the years 1977/78 to 1979-80 (do date) separately?

खाद्य तथा पूर्ति मंत्री (चौधरी गजराज बहादुर नागर): सूचना सदन की मेज पर खी जाती है।

सूचना

खाद्यायन की खरीद के लिये अपनाये गये तरीके इस प्रकार है:—

गेहूं

गेहू की खरीद रेगूलेटिड मण्डियों मे प्राईस स्पोर्ट कम प्रोक्योरमैन्ट स्कीम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों पर की जाती है। इस स्कीम के अनुसारा राज्य सरकार किसी ढेरी के रेट नि चत नही करती और न ही मण्डी में बोली के कार्य में भाग लेतीर है। गेहूं के रेट साधारण बोली द्वारा नि चत किये जाते है। खरीद अमला मण्डी मे प्रत्येक ढेरी पर जाता है और जो स्टाकस स्पैसिफिके ान के अनुसार होते है और जिन के रेट भारत सरकार द्वारा नि चत खरीद कीमतों तक पहुंच जाते है। उनकी खरीद हरियाणा फूडग्रेन (प्रोक्योरमैण्ट) आर्डर

1978 के तहत राईट आफ परिएम्प ान के अधिकार का प्रयोग करके, सरकार द्वारा खरीद लिये जाते हैं जो स्टाकस स्पैसिफिके ानज के अनूकल होतेहै और उनके रेट खरीद कीमतों से नीचे रहते है वह भी खरीद कीमतों पर खरीद लिये जातेहै गेहू की खरीद खाद्य व पूर्ति विभाग, हाफैद तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जाती है।

चावल

राज्य सरकार लैवी स्कीम के तहत चावल की खरीद चावल मिलर्ज/डीलर्ज से भारत सरकार द्वारा नि चत कीमतों पर करती हैं। दि हरियाणा राईस प्रोक्योरमैण्ट (लैवी) आर्डर, 1979 के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्श लैवी भोयर नि चत किया जाता है। चावल मिलर्ज/डीलर्ज चावल तैयार करके सरकार को लैवी भोयर का चावल औफर करते है जिस को लैवी आर्डर की प्रोविजन के अनुसार निरीक्षण करके सरकारी/खाद्य निगम के गोदमों यारेल हैड पर स्थिति अनुसार ले लिया जाता है।

धान

आमतौर पर मण्डियों में धान की खरीद चावल मिलर्ज द्वारा खुले बाजार के रेटों पर की जाती है। जब कभी मण्डियों में इसकी कीमतें बोली के अनुसार भारत सरकार द्वारा नि चत कीमतों से नीचे गिरने लगती है तो ऐसे स्टाकस जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित स्पैसिफिके ानज के अनुकूल होते है ंसरकारी

एजैन्सियों खाद्य निगम, हाफैड और खाद्य व पूर्ति विभाग द्वारा प्राईस स्पोर्ट स्कीम के तहत भारत सरकार द्वारा निि चत कीमतों पर खरीद लिये जाते है।

चने, जो बाजरा मक्की तथा ज्वार

इन खाद्यान की खरीद सरकारी एजैन्सियों द्वारा केवल प्राईस स्पोर्ट सकीम के तहत की जाती है। गेहूं की तरह इन खाद्यन्न के रेट भी बोली के आधार पर निि चत किये जाते है। खरीद केवल उस स्थिति में की जाती है। जब स्टोस निर्धारित स्पैसिफिके ान्ज के अनुकूल होते हैं और उनकी मण्डीबोली कीमतें स्पोर्ट कीमतों तक या उनसे ऊपर नही जाती। इस खादयन्न की खरीद भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जाती है।

2. खादयान की वर्श वार तथा ग्रेड वार खरीद/स्पोर्ट कीमतें नीचे दी गई है।

	1977—78	1978—79	1979—80
(रेट प्रति क्विटल)			
गेहूं			
ग्रेड-I	110/— रूपये	112.50 रूपये	115/— रूपये
ग्रेड-II	109/— रूपये	110.50 रूपये	113/— रूपये

ग्रेड-III	108/– रूपये	(1978–79 से भारत सरकार द्वारा केवल दो ग्रेड निर्धारित किये गये थे।)	
ग्रेड-4	107/– रूपये		
चावल			
चाईना	131/–	144/– रूपये	
आई आर-8	134/– रूपये	147/– रूपये	159.50 रूपये
बेगमी	134/– रूपये	147/– रूपये	170.50 रूपये
परमल	145/– रूपये	158/– रूपये	180/– रूपये
साधारण बासमति	155/– रूपये	169/– रूपये	
बढ़िया बासमति	172.50 रूपये	180/– रूपये	
ग्रेड-II			
बढ़िया बासमति	175.50 रूपये	183/– रूपये	
ग्रेड-I			
धान			

चाईना	77/– रूपये	85/– रूपये	
आई आर–8	79 /– रूपये	87/– रूपये	95/– रूपये
बेगमी	79/– रूपये	87/– रूपये	99/– रूपये
परमल	83/– रूपये	91/– रूपये	103/– रूपये
बासमति	88/– रूपये	96/– रूपये	
चने	95/– रूपये	125/– रूपये	140/– रूपये
जौ	65/– रूपये	67/– रूपये	67/– रूपये
बाजरा	74/– रूपये	85/– रूपये	95/– रूपये
मक्की	74/– रूपये	85/– रूपये	95/– रूपये
ज्वार	74/– रूपये	85/– रूपये	95/– रूपये

चौधरी राम लाल वधवा: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि सरकार की तरफ से गेहूं और चावल के जो भाव निि चत किये गये है है, क्या वे किसान की कास्ट आफ प्रोडक ान को देखते हुए निि चत किये गये है?

Mr. Speaker: As far as I Know, price is fixed by the Agriculturre Price Commission, which is beyond the purview of the state Government.

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, मेरा तो पूछने का यह तात्पर्य है कि किसानों की उपज के ऊपर आने वाले खर्चों के हिसाब से जो कीमत सरकार द्वारा फिक्स की गई है, क्या वह उचित है? इस बारे में सरकार की क्या पालिसी है? किसानों को उनकी प्रोडक ान की पूरी कीमत मिल रही है या नही?

चौधरी गजराज बहादुर नागरः स्पीकरसाहब, हमने पिछले साल की निस्बत कीमत ज्यादा मांगी हैं जितनी कीमत ए०पी०सी० ने फिक्स की है, हमने उससे ज्यादा मांग की हैं हम यह कोि ा ा करते रहेगे कि किसान की उपज की कीमत उसे ज्यादा दिलवायी जाए।

कृशि मंत्री (सरदार तारा सिंह): स्पीकर साहब, हम यह कोि ा ा करते है कि गेहूं और चावल की फसलों के भाव ज्यादा से ज्यादा हो। 27 नवम्बर को ए०पी०सी० के साथ हमारी मीटिंग हुई थी, जिसकी अध्यक्षता, केन्द्रीय कृशि मंत्री, श्री ब्रह्मप्रका ा जी ने की थी। हमने उन से गेहूं का भाव 145 रूपये पर क्विंटल के हिसाब से मांगा था। उस समय केन्द्र में लोक दल की सरकारथी। उन्होने कहां कि इसका फैसला जल्दी करेगे लेकिन वे इसबात का फैसला अढ़ाई महीने तक नही कर सके। अब जब दोबारा हमारी केन्द्र सरकार से मीटिग होगी तो हम जरूर किसान की उपज का ऊंचा दाम मांगेगे। (ाोर एव व्यवधान)

चौधरी उदय सिंह दलालः स्पीकर साहब, ये पोलिसी डिसीजन नही ले सकते है वरना डेढ़ सौ रूपये क्विंटल का भाव मिल जाता। (ाोर एवं व्यवधान)

ब्रिगेडियररण सिंहः स्पीकर साहब, अभी मिनिस्टर साहब ने बताया कि प्राइसिज ए०पी०सी० फिक्स करता है। मै यह कहना चाहता हू कि ए०पी०सी० तो एक रिकमैन्टैट बौडी है, प्राईस तो गवर्नमैन्ट फिक्स करती है। अगर मिनिस्टर साहब फाइल को स्टडी करे तो जो किसान की कास्ट आफ प्रोडक ान है, उसकी सारी फिगर्ज उनकों मिल जाएंगी और यह आसानीसेपता लच जाएगा कि किसान की कास्ट आफ प्रोडक ान और उसको जो कीमत मिल रही है, उसमें कितना अन्तर है। मेरा ख्याल है कि किसान को 25 रूपये फी क्विंटल का घाआ है।

सरदार तारा सिंहः स्पीकर साहब, 132 रूपये प्रति क्विंटल गेहूं का खर्च हमने असैस करवाया है।

श्री फतेहचन्द विजः जैसे मंत्री महोदय ने अभी बताया कि फर्स्ट गेहूं की स्पोर्ट प्राईस 115/– रूपये है। और सैकिड ग्रेड की 113/– रूपये। क्या मंत्री जी के नोटिस में यह बत है कि मंडियों में इससे भी कम भाव मिलता है। मंडियों में जब अनाज इस भाव पर नही बिकता तो उसे 5–7 रूपये क्विंटल कम ले करके अगले दिन उसी को मंहगा बेच देते है?

चौधरी गजराज बहादुर नागरः ऐसे केसिज जहां भी हमारे नोटिस में आते है, उन पर फौरन एक ान लिया जाता हैं हम मंडियों में खुद जाकर चैक करते है और जहां जिस तरह का कदम उठाने की जरूरत होती है, वैसा कदम वहां उठाते है।

चौधरी राम लाल वधवाः अभी मंत्री महोदय ने बताया कि दो ग्रेड मुकरर्र किये गये है। इससे किसानों को बड़ा नुकसान होता है क्योंकि मंडियों में इस्पक्टैर खरीद के वक्त किसानों को तंग करते हैं इस चीज को देखते हुए क्या एक की ग्रेड बनाया जाएगा?

चौधरी गजराज बहादुर नागरः अब जो अगली मीटिंग होगी उसमें हम किसान के हित के लिए पूरी कोि ा ा करेंगे और पहले भी करते रहे हैं। आज की भारत सरकार भी किसानों का पूरा ख्याल रखने वाली सरकार है।

Rural Water Supply Schemes in Jhajjar Constitutency

***1494. Capt. Mange Ram:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state:-

(a) the total number of villages in Jhajjar Constitutency which are being supplied drinking water from different rural water supply schemes since July, 1977; and

(b) whether it is fact that the under ground water in village Guriani is brackish, if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to include the said village in any of the rural wate supply schemes togetherwith the time by which drinking water is likely to be supplied to it from that schems?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी मेहर सिंह राठी):

(क) छः गांव।

(ख) जी हां। गुरेनी गांव को कुछ अन्य मीठे जल स्त्रोतों से पीने का पानी उपलब्ध करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इसके लिए कोई नि चत समय नहीं दिया जा सकता क्योंकि यह धनरा ि ा की उपलब्धि पर निर्भर करता है।

चौधरी हरस्वरूप बूराः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बहुत से गांवों में वाटर वक्र्स बने हुए हैं लेकिन अब उन गांवों की आबादी बढ़ गई है और वाटर वक्र्स की कैपेसिटी पहली रिक्वायरमैंट से भी घट गई है तो क्या उनकी कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी ?

श्री अध्यक्षः यह सवाल तो झज्जर कांस्टीच्यूंएसी से संबंधित है।

चौधरी हरस्वरूप बूराः स्पीकर साहब, यह तो जनरल पालिसी का सवाल है। जैसे बहिनी महाराजपुर में दस गैलन की स्कीम थी लेकिन पानी पांच गैलन के हिसाब से मिल रहा है और

गांव की आबादी पहले से दोगुनी हो गई हैा तो वहां के लौगों को पानी कैसे मिलेगा ?

चौधरी मेहर सिंह राठीः इसके लिए आप अलग से नोटिस दे दें, जवाब दे दिया जाएगा।

कैप्टन मांगे रामः क्या मंत्री जी बताएंगे कि जिन 6 गांवों में पीने का पानी दिया जाता है, उनके नाम क्या है ?

चौधरी मेहर सिंह राठीः उन 6 गांवों के नाम हैं – धाकला, सबाना, आसदपुर–खेरा, कोका, कुलाना और अहीर।

कैप्टन मांगे रामः मंत्री जी को पता होगा कि गुडियानी, अहीरी और आसदपुर खेरा इन तीनों गांवों की स्कीम 1977 में मंजूर हो चुकी है। इसके अलावा कासनी, सुरेती, भामसपुर माजरा, किलडोद ओर ढाकला की भी स्कीम बनी थी लेकिन इनके साथा और गांव मिला दिये गये जिसकी वजह से यह स्कीम लेट हो गई। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जहां पर खारा पानी है खास तौर से गुडियानी जैसे गांवों में, क्या ऐसी जगहों को प्रायरिटी दी जाएगी ?

चौधरी मेहर सिंह राठीः गुडियानी गांव का 3 लाख 94 हजार रू का एस्टीमेट हमारे पास आ चुका है। अगलीद मीटिंग में इस पर गौर करेंगे। हम खुद कई गांवों में गये थे, मैं मानता हूं कि वहां दिक्कत हैं इसलिए ऐसे गांवों के बारे में हम सिम्पैथेटिकली गौर करेंगे ब ार्ते कि हमारे पास फाइनैंसिज हों।

श्री सुरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मैं चौारी लाल सिंह जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। जिन गांवों में आलरेडी पांच गैलन की स्कीम थी और वहां के लिए पहले चीफ मिनिस्टर चौधरी देवी लाल ने दस गैलन की स्कीम मंजूर कर दी थी, क्या उस फैसले को अमलीजामा पहनाया जाएगा ?

चौधरी मेहर सिंह राठीः यह पालिसी मैटर है इसलिये इसके लिए अगल से नोटिस दें।

श्री सुरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मैंने तो चौधरी लाल सिंह से यह सवाल पूछा था ?

उप–श्रम मंत्री (चौधरी लाल सिंह): स्पीकर साहब, मैं सारी फाइल को पढ़ कर आया हूं। स्पीकर साहब, इन्होंने मेरा नाम लिया है इसलिये मैं इनको बताना चाहता हूं कि ये मेरे पास आए थे, मैंने इनका केस मंगवा कर देखा हैं। इनका काम हो रहा है।

चौधरी संत कंवरः मंत्री जी को पता होगा कि गांवों में जो वाटर सप्लाई स्कीमें बनाई गई हैं, उनमे बड़ा झगड़ा होता है। क्या गांवों में प्राइवेट कनैक ान देने की सरकार की कोई प्रोपोजल है ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): प्राइवेट कनैक ान देने की अभी सरकार की कोई प्रोपोजल नहीं है। इसका कारण यह है कि गांवों में जब तक सीवरेज सिस्टम नहीं होगा तब तक यह स्कीम लागू नहीं हो सकती। बगैर सीवरेज सिस्टम के गांवों में

कीचड हो जाएगा और उससे मच्छर पैदा होंगे जिससे बीमारी बढ़ेगी। इसलिये जब तक सभी जगह सीवरेज सिस्टम लागू नहीं होता तब तक सारा टारगैट पूरा नहीं होगा, क्योंकि पीने का पानी हम सभी गांवों में सब से पहले देना चाहते है। सीवरेज के लिए अभी इतना धन नहीं है।

चौधरी जयनारायणः क्या मुख्य मंत्री जी बताएंगे कि जिन गांवों के अन्दर खारा पानी है उन गांवों में पानी देने के लिए प्रायरिटी दी जाएगी ?

चौधरी भजन लालः यह फैसला हमने पहले से ही कर रखा है कि जहांह पर पानी खारा है और लोगों को दूर से पानी लाना पड़ता हैं उन गांवों को टाप प्रायरिटी पर रखेंगे।

चौधरी राम लाल वधवाः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि झज्जर कांस्टीच्यूएंसी में ऐसे कितने गांव हैं जिनमें पानी का मीठा पानी है, कितने ऐसे गांव हैं जिनमें मीठा पानी नहीं है उनको कब तक दे दिया जाएगा ?

चौधरी मेहर सिंह राठीः झज्जर कांस्टीच्यूंएसी में कुल 87 गांव हैं। इनमें से कई में मीठा पानी है ओर कई में खारा पानी है। अलग–अलग सूचना जानने के लिए अलग से नोटिस चाहिए।

श्री भाम ोर सिंहः स्पीकर साहब, अभी मुख्य मंत्री जी ने बताया कि जिन गांवों में खारा पानी है उनको प्रायरिटी दी

जाएगी। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई सर्वे करवाया गया है कि कितने गांवों में खारा पानी है ?

चौधरी मेहर सिंह राठी: हरियाणा में कुल 6731 गांव है। इनमें से 4180 गांव ऐसे हैं, जहां पानी की प्रौब्लम है यानी खारा पानी है। हम फरवरी 1980 तक 1298 गांवों में मीठा पानी दे चुके हैं और 897 गांवों की स्कीम अंडर प्रोग्रैस है जिसके लिए 32 करोड़ रूपये चाहिए। हरियाणा के सारे गांवों में मीठा पानी देने के लिए हमें 3100 करोड़ रूपया चाहिए। इसलिये जैसे–जैसे पैसा मिलता जाएगा, हम यह काम करते जाएंगे।

Mini Secretariat at Sirsa

***1537. Sh. Mani Ram:** Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state:-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Mini Secretariat at Sirsa; and

(b) if so, the time by which the construction work is likely to be started?

लोक निर्माण मंत्री (कंवर राम पाल सिंह):

(ए) जी हां।

(बी) लघु सचिवालय सिरसा (फर्स्ट फेज) के निर्माण का कार्य मई 1979 से पहले ही भुरू हो चुका है।

श्री मनी राम : अध्यक्ष महोदय, सिरसा में जो मिनी सचिवालय है उसकी दो साल पहले नींव रखी जा चुकी थी। मंत्री महोदय, ने अपने जवाब में बताया है कि उसके फर्स्ट फेज का काम भुरू है लेकिन काम बिल्कुल निल के बराबर है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस मिनी सचिवालय के कब तक पूरा होने की सम्भावना है?

कंवर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कह रहे है कि मिनी सचिवालय का काम निल के बराबर है। उस के एडमिनिस्ट्रे ान ब्लाक का काम 75 प्रजि ात पूरा हो चुका है और जो जुडि ियल ब्लाक है, उसकी दीवारें बनाई जा रही हैं, उसकी छत डलने वाली है और बरामदे पर छत का काम पूरा हो चुका है। उसके बाद जो लैन्ड डिवैल्पमैंट का और दुकानों वगैरह का काम है उनकी खुदाई भुरू हो चुकी है। इस फाइनैं ि ायल साल के अन्दर हम इस काम पर 26.91 लाख रूपये खर्च करने जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मेरी समझ में नहीं आता कि 75 प्रति ात काम तो पूरा हो चुका है और इलाके के एम.एल.ए कहते है कि निल काम हुआ हैं।

डा. बृज मोहन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि हरियाणा स्टेट के अन्दर

कितने मिनी सचिवालय है और उनमें से कितन अंडर कंस्ट्रक ान है तथा कितने कंसिड्रे ान है?

कंवर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए सैपरेट नोटिस चाहिए।

श्री सुरेंद्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो मिनी सचिवालय अंडर कंस्ट्रक ान है उनका कुछ पोर ान बन चुका है, बाकी पोर ान के लिए कुछ मैटीरियल भी पड़ा है लेकिन वहां पर काम बंद है। तो मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या उनको जल्दी से जल्दी कंस्ट्रक्ट करने का हुक्म देंगे?

कंवर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल सिरसा के बारे में है। अगर माननीय सदस्य किसी दूसरी जगह के बारे में पूछना चाहते है तो इसका अलग से नोटिस दें।

श्री सुरेंद्र सिंह : फिर आप भिवानी के बारे में बता दें?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, भिवानी में रिक्वायरमैंट के मुताबिक अगर सरकार ने देखा कि वहां और कमरों की जरूरत है तो अव य बनाए जांएगे।

चौधरी देस राज : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या करनाल के अन्दर मिनी सचिवालय

बनाने की प्रोपोजल सरकार के विचाराधीन है, अगर है तो कब तक बनाने की सम्भावना है?

श्री अध्यक्ष : इस सवाल से इसका कोई सम्बंध नहीं है।

श्री हीरा नन्द आर्य : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय ने अभी बताया कि भिवानी के अन्दर ज्यों–ज्यों आव यकता हुई हम वहां कमरे बना देंगे लेकिन मैं मुख्य मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उसकी जानकारी में यह है कि वहां पर जुडि ियल काम्पलैक्स अभी तक नहीं बना?

श्री अध्यक्ष महोदय : आर्य साहब यह सवाल तो सिरसा के बारे में है।

श्री सुरेंद्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में छोटे–छोटे 10–11 जिलें है लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जब यहां पर भूगर के बारे मैं सवाल आया तो मिनिस्टर साहब हमें पूरी जानकारी नहीं दे सके। यह तो मिनिस्ट्री की ज्वायंट रिसपोन्सीबिल्टी है इसलिए पूरा जवाब आना चाहिए। अगर उनको स्टेट में भूगर की टोटल प्रोडक ान का पता नहीं तो ऐसे ही जवाब देने का क्या फायदा है?

Mr. Speaker: I think, this is not the time for giving suggestion. You may kindly ask the supplementary relevent to the main question. (Interruptions)

Shri Surrender Singh: The Hon. Minister should come prepared to give clear replies. (Interruptions)

Mr. Speaker: If I feel that any Minister is not giving a proper reply to the questions, it is my duty to point out to him to come fully prepared.

परन्तु भुगर वाले सवाल पर काफी डिस्क ान हो चुकी है। मेरा ख्याल है कि जितने सवाल पूछें गये हैं, उनका मंत्री जी ने जवाब दे दिया है।

श्री सुरेंद्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को इवेसिव रिप्लाइज नहीं देनी चाहिए।

Mr. Speaker: I feel that clear answers have been given.

चौधरी राम लाल वधवा: अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हरियाणा में ये मिनी सचिवालय किस–किस जगह बनाने भुरू किए गए है, इनका काइटेरिया क्या है? इससे पहले बहुत जगह एलान हो चुका हे लेकिन जिनका पहले ऐलान हुआ है वह तो अभी बने नहीं है और जिनका बाद में एलान हुआ है वे बनाने भुरू कर दिए है, इसका क्या कारण है?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, इसका काइटेरिया यह है कि जो नए जिलें बने हैं वहां पर बैठने की जगह नहीं थी इसलिए हम पहले नये जिलों में बनाने जा रहे है।

——————

Diesel and Kerosene Oil

***1541 * Dr. Manga Sein :** Will the Minister of Food and Supplies

**Put by Chaudhri Ram Lal Wadhwa on his behalf be pleased to state---------

(a) the estimated quantity of Diesel and Kerosene Oil being consument in the months of February, March and April, 1980; and

(b) whether any complaint regarding the shortage of these things and non-availability or less availabilty thereof in the market, has been recceived by the Government; if so, the action taken thereon?

Food & Supplies Minister (Chaudhri Gajraj Bahadur Nagar):

(a) The undermentioned quantity of Diesel and Kerosene Oil allocated by the Government of India is expected to be consumed in the State :-

DIESEL

Name of the month.	Quantity of diesel
February, 80.	About 23,000 K.L.
March, 80-Allocation	24,000 K.L. (Likely to be incease to 32,000 K.L.)

April, 80. Allocation not yet received.

KEROSENE OIL

February, 80. 5233 K.L.

March, 80. 6030 K.L.

April, 80 Allocation not yet received.

(b) Complaints of shortage of Diesel and Kerosene Oil have been received by the Government. Continuous efforts are made with the Government of India to increase the allocation as a result of which it has been possible to get additional allocation of Diesel each month during the last five months.

चौधरी राम लाल वधवा : अध्यक्ष महोदय, सवाल के जवाब से पता लगता है कि कैरोसीन और डीजल की कंजम्प ान ज्यादा है और मिलता कम है। क्या मंत्री महोदय, बताने की कृपा करेंगे कि इस कमी को पूरा करने लिए सरकार क्या स्टैप्स उठा रही है और इसके अलावा मैं यह भी जानना चाहता हूं कि हमारी डिमान्ड कितनी है?

चौधरी गजराज बहादुर नागर : अध्यक्ष महोदय, इन दोनों चीजों की एलोके ान सैटर से होती है यानी उसका फार्मूला यह बनाया हुआ है कि पिछले साल हर महीने–वाइज जितनी टोटल कंजम्प ान स्टेट के अन्दर हुई उस पर 5 प्रति ात एक्सट्रा

उन्होंने सप्लाई किया लेकिन हमारे मुख्य मंत्री जी के एफर्टस से भी ज्यादा हमारे यहां सप्लाई होती रही है जो वे खुद अपने पर्सनल लैवल पर स्टेट मे लाते रहे।

Mr. Speaker : He wants to know what is the total requirement of the State?

चौधरी गजराज बहादुर नागर : अध्यक्ष महोदय, इस सवाल के बारे मैं पूरी तरह से तैयार हो करके आया हूं। इस सवाल को इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। माननीय सदस्य इसका अलग से नोटिस दें तो मैं जवाब दे दूंगा।

Mr. Speaker : I personally feel that it is impossible to compute the requirement of a thing.

श्री हीरा नन्द आर्य : स्पीकर साहब, क्या सरकार के पास यह आंकड़ें नहीं है कि हमारी रिक्वायरमैंट कितनी है? (ाोर)

चौधरी रामलाल वधवा : अध्यक्ष महोदय, वह सरकार ही क्या है जिसको यह भी पता नहीं कि हमारी डिमान्ड कितनी है? (ाोर)

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, डीजल और मिट्टी के तेल की सारे दे ा में कमी है, केवल हरियाणा प्रदे ा में ही कमी नहीं है। गवर्नमैंट आफ इंडिया ने एक तरीका अपनाया हुआ ह। कि मार्च 1979 के महीने में कितना

डीजन प्रान्त में लगा है उसको नोट कर लेते है और उसी को बेस मानकर आगे के लिए अलाटमैंट करते है। पिछले साल 1978 में, आप सब जानते है कि काफी बाढ़ आई, तकरीबन आधे से ज्यादा हरियाणा बाढ़ की लपेट में आ गया था जिसके कारण लोगों ने डीजल बहुत कम इस्तेमाल किया और ट्यूबवैल्ज कम चले। बाढ़ के कारण लोगों की डिमांड कम थी। भारत सरकार, ने जितना डीजल 1978 में इस्तेमाल हुआ, उसी को बेस रखा। इस सिलसिले में भारत सरकार के कंसर्न्ड मिनिस्टर से मैं खुद दो–तीन बार मिला हूं और हमारे मिनिस्टर साहब भी मिलें हैं कि हमारा कोटा बढ़ना चाहिए। हमारी स्टेट में 45 हजार कि.ली. डीजल और 10 हजार कि.ली. मिट्टी के तेल की रिक्वायरमैंट है लेकिन उन्होंने हमारी रिक्वायरमैंट पूरी नहीं की। पिछले साल जनवरी के महीने में साढ़े 28 हजार कि.ली. तथा फरवरी के महीनें में 20–21 हजार कि.ली. डीजल दिया है। हम फिर दोबारा मिनिस्टर साहब से मिलें और अब उन्होंने 32 हजार कि. ली. डीजल मार्च के महीने में सप्लाई करने का वायदा किया है। अगर 32 हजार कि. ली. डीजल आ भी जाए तब भी हम अपनी रिक्वायरमैंट पूरी नहीं कर पायेंगे। स्पीकर साहब, दिल्ली के नजदीक होने की वजह से भारत सरकार ने हमारे साथ एक रियायत कर रखी है कि हरियाणा में बाई रोड़ दो जगह से डीजल आता है जिनमें से एक भाकूर बस्ती है। भाकूर बस्ती से बाई रोड़ अम्बाला और दो डिपुओं पर डीजल और तेल आता है। अध्यक्ष महोदय, अगर आप पंजाब और दूसरे इलाकों की हालत को देखें

तो पता चलेगा कि हरियाणा के मुकाबले में उनकी बुरी हालत है। जहां तक चैकिंग का ताल्लुक है, हमने पूरी चैकिंग करवाई है और हेरा फेरी करने वाले 300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है, उनके खिलाफ केसिज चल रहे है।

Mr. Speaker: I think, a very clear answer has been give by the Chief Minister. (Interruptions)

Shifting of Offices of H.SE.C.

*1558. **Chaudhri Ude Singh Dalal:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether the Government has taken any decision to shift all the Haryana State Electricity Board Offices to Hissar; if so, the time by which these are likely to be shifted into to; and

(b) whether the residential quarter have been constructed; if so, the total amount spent thereon?

सिंचाई एवं बिजली मंत्री (चौधरी मेहर सिंह राठी) :

(क) राज्य सरकार का यह विचार है कि केवल उन्हीं कार्यालयों को विद्युत नगर हिसार में लाया जाए जो वहां पर अच्छी प्रकार से कार्य कर सके तथा उन्हीं वि ोश कार्यालायों को जिनका राज्य के मुख्यालयों तथा अन्तर्राज्य क्षेत्रीय कार्यालय जैसे कि भाखड़ा ब्यास प्रबन्धक बोर्ड, ग्रामीण विद्युतीय निगम इत्यादि

से घनिश्ट सम्बन्ध हो चण्डीगढ़ में रखा जाए। मुख्य अभियन्ता, योजना एवं निर्माण कार्यालय अक्तूबर 1978 से हिसार में कार्य कर रहा हैं अन्य कार्यालयों को ले जाने का कार्य, निकट भविश्य में जब पी.डब्ल्यू.डी द्वारा आवास यूनिट पूण्र रूप से सौंप दी जायेगी भाुरू कर दिया जायेगा।

(ख) 1976 आवास यूनिट का प्रथम चरण लगभग पूर्ण होने को हैं इस समय तक 6,59,14,838 रूपये व्यय हो चुके है।

चौधरी उदय सिंह दलाल : स्पीकर साहब, हिसार बोर्ड के लिए जो कालोनी बनी हुई है उस में जो क्वार्टर बने हुए हैं उन के बारे में डी.सी. को हिदायत दी गई है कि वह उन क्वार्टरों को दूसरे महकमों को अलाट कर सकते है। बिजली बोर्ड के इन क्वार्टरों को जब सरकार दूसरे महकमों को अलाट करने लगी है तो मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सरकार का इरादा क्या है? क्या बिजली बोर्ड के दफ्तर को वहां पर ि ाफ्ट नहीं किये जायेंगे? (व्यवधान) स्पीकर साहब, दूसरे डिपार्टमैंट से क्वार्टर अलाट करने के लिए दरख्वास्तें ली गई है। (व्यवधान)

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, न ही ऐसी कोई हिदायत जारी की गई है और न ही ड.सी. ने कोई गलत काम किया है। कायदे कानून के अनुसार कार्यवाही की है। (व्यवधान)

श्री बिरेंद्र सिंह : स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा है कि सरकार का विचार है कि केवल उन्हीं कार्यलायों का विद्युत नगर हिसार में ले जाया जाएगा जो वहां पर अच्छी प्रकार से कार्य कर सके। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कौन–कौन से आफिस वहां ि ाफ्ट किए जांएगे ताकि वह अच्छी प्रकार से कार्य कर सके?

चौधरी मेहर सिंह राठी : ट्रेनिंग स्कूल्ज जिन में ए. एल.एम.और एल.एम. के कोर्सिज चल रहे हैं, वे वहां पर ि ाफ्ट किए जाएंगे।

चौधरी सतबीर सिंह मलिक : स्पीकर साहब, हमारी समझ में इनकी बात नहीं आई। ये कौन सी भाशा बोल रहे है? (व्यवधान)

चौधरी मेहर सिंह राठी : इसका मतलब वे मेरे से मेरे कमरे में आकर पूछ लें। ये वजीर रहे है, इनको पता होना चाहिए कि ए.एल.एम. क्या मतलब होता है (व्यवधान) इसका मतलब है ''असिस्ट लाईन मैन''।

———

Cars purchased for the use of Minsiters

***1506. Chaudhir Satvir Singh Malik:** Will the Minister for Transport be pleased to state the number of new cars purchased by the Transport Department for the use of

Ministers during the period from 1-08-1979 to 15-02-1980 togetherwith the expenditure incurred thereon, spearately?

परिवहन मंत्री (श्री जगन नाथ)

(क) ग्यारह।

(ख) 15,11,752,.52 रूपये।

चौधरी सतवीर सिंह मलिक : स्पीकर साहब, मैं आपसे रिक्वैस्ट करूंगा कि आप मेरे सवाल को जरा देखें। मैंने अपने सवाल में पूछा था कि मेन्टेनैंस और पैट्रोल का सैप्रेट–सैप्रेट खर्चा कितना है। इन्होनें सारा खर्चा इकट्ठा ही बता दिया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सापके सवाल में कहीं भी मेन्टेनैस का जिक्र नहीं है। आपने पूछा है as not the expenditure incurred on the purchase of new cars for theuse of Ministers जो आपको बता दिया गया है। I am sorry, your question is not clear.

चौधरी सतवीर सिंह मलिक : स्पीकर साहब, मैंनें पूछा है "expenditure incurred thereon separatey" इन्होंने इकट्ठा ही बता दिया है जबकि अलग अलग बताना चाहिए था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : 'एक्सपैंडिचर इन्कर्ड' का यह मतलब निकलता है कि उन पर कितना खर्च किया गया है। (व्यवधान)

डा. बृज मोहन गुप्ता : मंत्री महोदय, ने अपने जवाब में बताया कि 11 कारें खरीदी गई है। क्या वे बतायेंगे कि वे किस–किस मेक की है?

श्री जगन नाथ : 11 की 11 कारे एम्बैसडर हैं।

चौधरी सतवीर सिंह मलिक : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इन 11 कारों में कोई लम्बी कार भी खरीदी गई है?

श्री जगन नाथ : लम्बी कार कोई नहीं खरीदी गई।

Mr. Speaker: Hon'ble Minister, the Question Hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांक्ति प्र नों के लिखित उतर

Matching Grant for I.T.I. Nathusari Chopta

***1554. Chaudri Birinder Singh:** Will the Minister for Development & Panchayats be pleased to state whether the matching grant sanctioned by the Government when ch. Devi Lal was the Chief Minster in year 1979 for I.T.I. Nathusari Chopta in District Sirsa has been released; if not, the reason therefor?

विकास मंत्री (राव राम नारायण) : हां जी। मैचिन्ग की रा ि ा 2,82,000/- रूपये जिस में जनता के अं ादान की रा ाी भी सम्मिलित है, वितरित कर दी गई है।

_____

Nathpa Jakhri Hydel Project

***1554. Chaudhri Birinder Singh:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the date on which the agreement for the Nathpa-Jakhri Hydel Project was entered into between the Governments of Haryana and the Himachal Pradesh;

(b) the terms and conditions of the said agreement;

(c) the time by which the above said project is likely to be completed; and

(d) the estimated annual output of electricity and the percentage of power generated which will come to the share of Haryana State?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी मेहर सिंह राठी) :

(क) नाथ्पा–झाकड़ी जल परियोजना के लिए हरियाणा तथा हिमाचल प्रदे ा की सरकारों को मध्य अनुबंध ि ामला में 29 जनवरी 1980 को हुआ।

(ख) इस योजना में हरियाणा और हिमाचल प्रदे ा की 80 प्रति ात व 20 प्रति ात के अनुपात में आर्थिक सांझेदारी

होगी तथा इससे उपलब्ध लाभ का क्रम ा: 70 प्रति ात व 30 प्रति ात के अनुपात में बंटवारा होगा। इस योजना का निर्माण कार्य 80 वर्शों में पूरा हो सकेगा तथा इस योजना से 500 करोड़ यूनिट विद्यूत प्रति वर्श प्राप्त होगी।

(ग) इस योजना का निर्माण कार्य लगभग 8 वर्शों में सम्पन्न होगा। इस योजना का निर्माण एक अन्य एजैन्सी के द्वारा किया जायेगा, जिसका नियमन्त्रण दोनों राज्यों के सांझे स्वतन्त्र बोर्ड के द्वारा होगा।

(घ) एक वर्श के अन्तर्गत इस योजना से लगभग 500 करोड़ यूनिट विद्युत की प्राप्ति का अनुमान है जिसमें से 70 प्रति ात भाग हरियाणा राज्य को प्राप्त होगा। इस के अतिरिक्त हिमाचल प्रदे ा के 30 प्रति ात के हिस्से में से बचत विद्युत को क्रय करने में हरियाणा को प्राथमिकता दी जायेगी।

——————

Sales Tax on Timber in the State

***1572. Shrimati Dr. Kamla Verma:** Will the Minister for Finance be pleased to state-

(a) the percentage of Sales Tax levied on timber in the State togetherwith the percentage thereof in the neighbouring States of U.P., Punjab and Himachal Pradesh at present; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to reduce the incidence of Sales Tax on timber to 2% in the State?

वित मंत्री (लाला बलवन्त राय) :

(क) कथन सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(ख) जी नहीं।

कथन

(क)

क्रमांक	राज्य का नाम	सामान्य बिक्री की दर	केंद्रीय बिक्री की दर
1.	हरियाणा	7 प्रति ात	4 प्रति ात 'सी' तथा 'डी' फार्म के विरूद्ध, अन्यथा 10 प्रति ात
2.	उतर प्रदे ा	12 प्रति ात जमा 1 प्रति ात अतिरिक्त कर	4 प्रति ात (बिना 'सी' फार्म 10 प्रति ात) परन्तु लकड़ी के उन फलैक्स की अन्तर्राजीय बिक्री पर जो कि उत्र प्रदे ा के व्यापारियों द्वारा ही बेचे जायें तथा जिस पर

			सामान्य बिक्री कर पहले से ही दिया गया है, कोई कर देय नहीं है।
3.	पंजाब	8 प्रति ात	एक स्पे ाज डिक्लेरे ान तथा सर्टिफिकेट के विरूद्ध 2 प्रति ात अन्यथा 4 प्रति ात (10 प्रति ात बिना 'सी' फार्म के)
4.	हिमाचल प्रदे ा	25 प्रति ात तथा इस पर 10 प्रति ात सरचार्ज	4 प्रति ात(10 प्रति ात बिना 'सी' फार्म के) जिस पर टिम्बर की स्थानीय बिक्री पर सामान्य दर से कर पहने ही दिया जा चुका है, वह केंद्रीय बिक्री कर से मुक्त है

———

अंतारांकित प्र न एवं उतर

Charges of Electricity

331. Shri Mange Ram Gupta: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the electric charges are realised at the rate of Rs. 3/- per unit for the electricity consument during the Ramlila and other religious functions whereas these charges are realised at the rate of 0.30 N.P. per unit for the electricity consumend during the Red Cross fairs in the State; if so, the reason for charging higher rates from the former; and.

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to remove the disparity in the rates of electricity charges in the cases referred to in parft (a) above?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी मेहर सिंह राठी) :

(क) जी हां भारत सरकार ने अपने पत्र क्रमांक ईः सीः 11–19(5), 172 दिनांक 18–1–1972 के द्वारा आदे ा दिया है कि भाादी और अन्य सामाजिक समारोह पर दिखावे के बिजली खर्च को कम करने के लिये ऐसे अवसरों पर बिजली की ऊंची दर लगाई जाये। तदानुसार 3 रूपये प्रति यूनिट का फ्लैट रेट निर्धारित किया है।

रैडक्रास के मेले धर्मार्थ समारोह होते है जो कि समाज के गरीब वर्ग की भलाई के लिये होते है और ये धार्मिक ि ाश्टाचार समारोह नहीं होतें है इसलिये 45 पैसे प्रति यूनिट की रियायती दर लगाई गई है।

(ख) जी नहीं।

Selection Grade of JBT Teachers

332. Shri Mange Ram Gupta: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that JBT teachers are given selection grade after completion of 18 years of their service;

(b) whether it is also a fact that the selection grade as referred to in part (a) above is not given to the JBT teachers recrutied in the erstwhile PEPSU State; and

(c) if reply to part (b) be in the negative whether there is any proposal under consideration of the Government to give selection grade to the teachers mentioned in part (b) on the pattern referred to in part (a) above?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल) :

(क) जी नहीं, फिर भी प्रान्तीयकृत अध्यापकों और जे:बी:टी: अध्यापकों के केस में उनकी कठिनाईयों तथा उनके डिमिनि ांग काडर को ध्यान में रखते हुए छूट दी गई है।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

Allowance to the Headmaster of Primary Schools

333. Shri Mange Ram Gupta : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to give an allowance of Rs. 25/- p.m. to the Headmasters of the Primary Schools in the State; if so, the time by which it is likely to be given?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजनलाल) : प्राईमरी स्कूलों के मुख्याध्यापकों को 25/- रूपये प्रतिमास वि ोश वेतन देने के आदे ा सरकार द्वारा पहले ही जारी किये जा चुके है।

———

Duty allowance to Centre Incharges of Primary Schools

334. Shri Mange Ram Gupta: Will the Chief Minister be pleased --------Government to give duty allowance to the Centre Incharges of Primary Schools in the State, as is being given to the Headmasters of High Schools and Middle Schools?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल) : जी नहीं।

———

औचित्य प्र न

बगैर लाइसैंस आदि के अवैध तौर पर कारें चलाने संबंधी

चौधरी गंगा राम : स्पीकर साहब, मेरा एक प्वायंट आफ आर्डर है। (ाोर) आज पंजाब केसरी के अन्दर एक खबर छपी है कि हिसार की पुलिस ने 19 कारें पकड़ी हैं और वे उन्नीस कारें बगैर कागज और लाइसैंस आदि की अवैध कारें थीं। पकड़े जाने वालों में एक व्यक्ति हरियाणा के एक मंत्री का रि तेदार है। (विघ्न) यह अखबार के अन्दर लिखा हुआ है। कि मंत्री के रि तदार बगैर लाइसैंस आदि के अवैध तौर पर कार चला रहा था। तो मैं इस सरकार से जानना चाहूंगा कि उस का मंत्री का नाम बताया जाए जिसका रि तेदार अवैध तौर पर कार चला रहा था? (ाोर)

श्री अध्यक्ष : आप मुझे इसके लिए नोटिस दीजिए।

चौधरी गंगा राम : यह जीरो आवर है। मैं स्पीकर साहब, यह कहना चाहूंगा कि हरियाणा के मंत्रियों के रि तेदार अवैध रूप से, नाजायज तौर पर कारें चला रहे हैं, ट्रक चला रहे है।(विघ्न एवं भाोर)

श्री अध्यक्ष : आप मेहरबानी करके बैठ जाईए। (विघ्न) चौधरी उदय सिंह दलाल जी, इन्हें आप बैठा लें। (ाोर)

चौधरी गंगा राम : स्पीकर साहब, मैं कह रहा था कि मंत्रियों के रि तेदार तो अवैध कारें चला रहे है लेकिन रोड़वेज की बसों की यह हालत है कि मेरी जाकेट तक उसमें फट गई।

(ाोर) मैं पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार मुझे इसका मुआवजर देगी? (ाोर)

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, कई बार आपने प्रार्थना की है कि हम कम से कम हाउस का मजाक न बनाएं। गैलरी में बैठी जनता हमारी सारी कार्यवाही को देखते है इनको यह महसूस करना चाहिए। (विघ्न) हमें अनु ाासन में रहना चाहिए। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : चौधरी गंगा राम जी, अगर आप डिस्पिलिन के अन्दर नहीं रहेंगे तो मुझे मजबूर होकर आपके खिलाफ आव यक कार्यवाही करने पड़ेगी। (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, जहां तक कारों के पकड़ने की बात हैं, मैं हाउस में आ वासन देता हूं कि चाहे कोई मंत्री का रि तेदार हो या मुख्य मंत्री का रि तेदार हो, अगर गलत ढ़ंग से कार चलाई गई तो दूसरे लोगों को भाायद 200 रूपये जुर्माना करते होंगे, उस पर डबल पैनल्टी जरूर डालनी चाहिए।

परिवहन मंत्री (श्री जगन नाथ) : स्पीकर साहब, मेरा एक प्वायंट आफ आर्डर है। चौधरी गंगा राम जी ने अभी कहा कि हरियाणा रोड़वेज की बस में उनकी जाकेट फट गई। स्पीकर साहब, डिफैक्ट हर जगह हो सकता है। मेरी आंख में हो सकता है, चौधरी गंगा राम और मूल चंद जैन की टांग में हो सकता है।

कहने का मतलब यह कि अगर हरियाणा रोड़वेज की किसी बस में कोई डिफैक्ट निकल आया तो इसमें कोई वि ोश बात नहीं। (ाोर)

चौधरी उदय सिंह दलाल : स्पीकर साहब, हमारे लीडर की तो हरियाणा रोड़वेज की बस में टांग टूट गई लेकिन बजाय इसके कि ये उस बात का अफसोस जाहिर करें, मखौल उड़ा रहे है। (विघ्न)

चौधरी संत कंवर : स्पीकर साहब, वैसे तो सारे हरियाणा में लकिन खास तौर पर रोहतक जिलें में बहुत भारी ओलावृश्टि हुई है। (ाोर) हम चाहते हैं कि सरकार ओलावृश्टि के मामलें में यहां कोई स्टेटमैंट दे। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए। इस तरह की बात करने का यह कोई समय नहीं beacause under the rules & the practice of this House no business other than the answering of question on the day of the presentation of Budget is transacted.

चौधरी हरस्वरूप बूरा : स्पीकर साहब, फाईनैंस मिनिस्टर साहब, ने क्वै चन आवर के दौरान एक सप्लीमैन्टरी के उतर में यह कहा था कि अगर पंचायत की रिक्वैस्ट आए तो ठेका खोलेंगे लेकिन अगर पंचायत के कहने के बावजूद भी सारे गांव के लोग ठेके को न चाहते हों तो क्या आप पंचायत की बात मानेंगे या लौगों की बात मानोगे?

श्री अध्यक्ष : यह कोई समय नहीं है। मैं समझता हूं कि ऐसे मसले तो आप इंडिविजुअली मिल कर हल कर सकते है। वह तो गवर्नमैंट की पालिसी उन्होंने बताई थी। (विघ्न एवं भाोर) देखिए साहेबान, I am giving a lot of latitude and I am not strict at all about these things. लेकिन उसके बावजूद इनडिस्पिलिन बढ़ रहा है। इसलिए मैं आज आपको स्पश्ट करना चाहता हूं कि आज से आगे, चाहे वह जीरो आवर हो या कोई और टाईम हो, बगैर नोटिस के कोई साहब बोलने का कश्ट न करें। अगर किसनी बोलना है तो कृपया मुझे नोटिस दीजिए। अगर रूल्ज के अनुसार बोलना अलाउड हुआ तो टाईम अलाट करूंगा। हम अपनी इस असैम्बली का, इस आगस्ट हाउस का, मजाक उड़ाने की कोि ा ा न करें। कम से कम जब तक मैं यहां पर हूं, मैं इसका मजाक नहीं बनने दूंगा। (प्र ांसा)

वर्श 1980–81 का बजट पे ा करना

श्री अध्यक्ष : जब वित मंत्री महोदय वर्श 1980–81 का बजट पे ा करेंगे। (व्यवधान)

वित मंत्री (लाला बलवन्त राय तायल) :

माननीय अध्यक्ष महोदय,

यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आज इस दिव्य सदन के समक्ष हरियाणा राज्य के वर्श 1980–81 के बजट अनुमानों को प्रस्तुत करने के उद्दे य से, अपने स्थान पर उठ खड़ा हुआ हूं।

मैं आ ाा करता हूं कि सदन के माननीय सदस्य इन बजट अनुमानों को संबंधित योजना परिव्ययों तथा विकास योजनाओं एवं दे ा तथा राज्य की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए विचारेंगे। माननीय सदस्यों को यह भली–भांति मालूम है कि आर्थिक दृश्टि से गत वर्श इस राज्य के लिए एक अत्यन्त कठिन वर्श रहा है, क्योंकि गत वर्श के आरम्भ में ही अकस्मात ओलावृश्टि से राज्य की कृशि उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। प्रकृति ने इस राज्य पर अपने प्रकोप को यहीं तक सीमित नहीं रखा, बल्कि ग्रीश्म ऋतु में हमारे राज्य को अत्यन्त भयंकर सूखे का सामना करना पड़ा। इन परिस्थितियों में, असहाय किसानों की यथासंभव सहायता करना, राज्य सरकार का प्रथम कर्तव्य था, जिसे निभाने के उद्दे य से हमें कई प्रकार के अनुदान एवं ऋण किसानों को देने पड़े। हरियाणा जैसे कृशि प्रधान राज्य में कृशि के उत्पादन में कमी से राज्य के आय साधनों एवं कृशि से संबंधित उद्योग उत्पादनों में कमी होना स्वाभाविक है। परिणामस्वरूप राज्य के वितीय साधनों का अनुमानों से कम रहना स्वाभाविक है। इन समस्त मामलों से मैं आगे चल कर इस सदन को परिचित करवाऊंगा।

आर्थिक स्थिति

दे ा भर की आर्थ व्यवस्था के दृश्टिगत, हमारे राज्य में भी तीव्र गति से मुद्र स्फिति हुई है। अखिल भारतीय थोक भाव सूचांक (1970–71 वर्श के भावों पर आधारित) में दे ा भर

में मार्च, 1978 से मार्च, 1979 के समय में 2.7 प्रति ात की वृद्धि हुई। अर्थात् मार्च, 1978 में जो थोक भाव सूचांक 183 था वह मार्च, 1979 में 188 तक पहुंच गया था। मार्च, 1979 से नवम्बर, 1979 के दौरान मूल्यों में अविराम वृद्धि होती रही है, एवं गत नवम्बर में थोक भाव सूचांक 220 तक पहुंच गया था और मार्च, 1979 की तुलना में इस सूचांक मैं 17 प्रति ात की वृद्धि हुई। इसी प्रकार दे ा भर में अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग से संबंधित उपभोक्ता सूचांक (वर्श 1960 के मूल्यों पर आधारित) में भी मार्च, 1978 (जबकि यह 321 था) की तुलना में 3.4 प्रति ात की वृद्धि हुई और मार्च, 1979 में यह सूचांक 332 तक पहुंच गया था। यही नहीं, यह सूचांक गत मार्च से गत नवम्बर के समय में 10.8 प्रति ात और बढ़ा एवं गत नवम्बर में 368 तक पहुंच गया। जहां तक हरियाणा राज्य के श्रमिक वर्ग से संबंधित उपभोक्ता सूचांक का प्र न है, हरियाणा राज्य में मार्च, 1978, और मार्च, 1979 के मध्य, मल्यों की वृद्धि समस्त राश्ट्र के अनुकूल 3.4 प्रति ात ही रही क्योंकि इस दौरान उपभोक्ता सूचॉक (वर्श 1972–73 के आधार पर) 148 से बढ़ कर 153 तक पहुंच गया, परन्तु यह हर्श की बात है कि राज्य की अपनी कठिनाईयां, जो कि पूर्वोल्लिखित ओलावृश्टि तथा सूखें की स्थिति के कारण उत्पन्न हुई थी, के बावजूद भी मार्च, 1979 से नवम्बर, 1979 तक, दे ा भर की 10.8 प्रति ात की वृद्धि के विपरीत, हरियाणा राज्य में इस अवधि के दौरान मूल्यों में वृद्धि केवल 7.2 प्रति ात तक ही सीमित रही

अर्थात नवम्बर, 1979 तक राज्य का उपभोक्ता सूचॉक केवल 164 तक ही बढ़ा था।

प्रारम्भिक अनुमानों के आधार पर, यह अनुमान लगाया गया है कि राज्य की कुल आय (वर्श 1960–61 के मूल्यों पर आधार पर) वर्श 1977–78 की 593 करोड़ रूपये की तुलना में वर्श 1978–79 में 655 करोड़ रूपये हो गई है। यह वृद्धि 10.5 प्रति ात की दर से है। इस के अतिरिक्त प्रति व्यक्ति आय (वर्श 1960–61 के मूल्यों के आधार पर) जाकि वर्श 1977–78 में 498 रूपये थी, बढ़ कर वर्श 1978–79 में 537 रूपये हो गई थी, अर्थात यह वृद्धि 7.8 प्रति ात की से हुई। कुल राज्यों की आय में 10.5 प्रति ात की वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय में 7.8 प्रति ात की वृद्धि में अन्तर, जनसंख्या वृद्धि के कारण है। अतः स्पश्ट है कि यदि जनसंख्या में वृद्धि इस हद तक न होती तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि 7.8 प्रति ात से भी अधिक होती। फिर भी राज्य के कुल उत्पादन में प्रगति संतोशजनक रही।

आव यक वस्तुओं नामतः लोहा, कोयला, सीमेंट आदि की कमी हुए भी औद्योगिक उत्पादन की स्थिति गत वर्श में संतोशजनक रही है, परन्तु कृशि उत्पादन में किसी हद तक कमी अव य हुई है। वर्श 1978–79 में खाद्यान उत्पादन 63.54 लाख टन तक हुआ था किन्तु प्रतिकूल प्राकृतिक प्रभावों, जिन का मैं पहले वर्णन कर चुका हूं, के कारण वर्श 1979–80 के लिए खाद्यान उत्पादन का लक्ष्य केवल 60.10 लाख टन तक ही सीमित रखना

पड़ा है। इस लक्ष्य की पूर्ति के उद्दे य से रबी की फसल का अच्छा होना आव यक है, अतः सरकार ने इस उद्दे य के दृश्टिगत, पहले से ही रबी की फसल के उत्पादन में वृद्वि के लिये योजनायें चालू कर रखी हैं, जिनका मैं विस्तृत वर्णन आगामी खण्डों में करूंगा।

अब मैं सदन के सम्मुख, राज्य सरकार के वितीय अनुमानों का संक्षेप में वर्णन करना चाहूंगा।

लेखे 1978–79

रिजर्व बैंक के सुंकलित लेखों के अनुसार वर्श 1978–79 का अन्त 3.62 करोड़ रूपए के घाटे से हुआ। 1978–79 के सं ाोधित अनुमानों में आ ाा की गई थी कि साल का अन्त 14.13 करोड़ रूपए के घाटे से होगा। इस प्रकार के वार्शिक लेखों में 10.51 करोड़ रूपए का सुधार हुआ है। इस सुधार का मुख्य कारण 14.58 करोड़ रूपए की अग्रिम योजना सहायता थी, जोकि भारत सरकार ने राज्य सरकार को अर्थव्यवस्था में बाढ़ के कारण हुए प्रतिकूल प्रभाव को किसी हद तक पूरा करने के लिए दी थी। भू–राजस्व, आबियाना तथा परिवहन सेवाओं से राज्य की आय में कुछ कमी हुई और साथ ही साथ कृशकों से विभिन्न ऋणों की वसूली भी बाढ़ के कारण कम हो गई थी। दूसरी ओर मुख्यतः सतलुज यमुना लिंक नहर परियोजना पर पंजाब राज्य में कार्य न होने के कारण एवं कुछ

हद तक विभिन्न अन्य समस्याओं, यथा आव सक वस्तुएं आदि की अनुपलब्धि, के कारण योजना व्यय 193.56 करोड़ रूपए तक ही सीमित रहा, जबकि पूर्व अनुमान 215.32 करोड़ रूपये का था।

सं ाोधित अनुमान 1979–80

बजट अनुमान 1979–80 में यह अनुमान लगाया गया था कि वर्श का अन्त 36.97 करोड़ रूपये के घाटे से होगा। सं ाोधित अनुमानों के अनुसार साल का अन्त 17.52 करोड़ रूपए के घाटे से होने की संभावना है। इस प्रकार सं ाोधित अनुमान 1979–80 एवं 1980–81 के बजट अनुमान को देखने से जो स्थिति सामने आई है वह निम्न प्रकार है:–

(रूपए करोड़ों में)

क्रमांक		बजट अनुमान 1979–80	सं ाोधित अनुमान 1979–80	बजट अनुमान 1980–81
	1	2	3	4
1.	अथ भोश	–14.13	–3.62	–17.52
2.	राजस्व लेखा राजस्व प्राप्तियां	391.95	395.84	433.33

	राजस्व खर्च फालतू	328.97 62.98	345.04 50.80	365.39 67.94
3.	पूंजी खर्चे (निवल)	94.46	92.92	99.67
4.	सार्वजनिक ऋण लिया गया ऋण ऋण की पुनरअदायगी निवल	209.27 176.88 32.39	198.44 151.67 46.77	230.36 193.21 37.15
5.	ऋण/पे ागियां पे ागियां वसूलियां निवल	57.95 10.06 −47.89	57.84 10.13 −47.71	61.22 13.45 −47.77
6.	अन्तर्राज्यीय समंजन	−	−	−
7.	कन्टीनजैंसी फंड	−	+2.46	−

8.	सामान्य भविश्य निधि अं ादान (निवल)	+12.60	+13.58	+14.95
9.	जमा तथा पे ागियां (निवल)	+11.54	+13.12	+13.78
10.	प्रे शण (निवल)	—	—	—
11.	इति ोश	—36.97	—17.52	—31.44

माननीय सदस्य इस बात को देखेंगे कि सरकार की वितीय स्थिति मैं सं ाोधित अनुमानों के मुकाबले में 19.45 करोड़ रूपए का सुधर हुआ। यह सुधार वि ोश रूप में उल्लेखनीय बन जाता है क्योंकि वर्श 1978—79 के दौरान बाढ़ के फलस्वरूप बथा उसके तुरन्त प चात् वर्श 1979—80 के भाुरू में तीव्र ओलावृश्टि एवं बाद में राज्य के बड़े हिस्से मैं सूखें के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था को सख्त धक्का पहुंचा था। 1979—80 के सं ाोधित अनुमानों में प्राकृतिक आपदाओं के फलस्वरूप सहायता कार्यों के लिए दिए गए 12 करोड़ रूपए का खर्च भी भाामिल है और इस में

राज्य की आय में हुई वह कमी भी भाामिल है जोकि भू–राजस्व, आबियाना व तकावी ऋणों की वसूली स्थगित या माफ करने के कारण हुई। सं ाोधित अनुमानों में, सहायता कार्यों पर खर्च के कारण राज्य के साधनों पर जो भार पड़ा उसके अतिरिक्त कई अन्य खर्चें भी भाामिल हैं जैसे : (क) अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की 2 कि तें, जोकि एक दिसम्बर 1978 व एक अगस्त, 1979 से दी गई थी, खर्च जिससे की वितीय वर्श के दौरान 3.16 करोड़ रूपये का अतिरिक्त खर्च हुआ; (ख) पुलिस विभाग में अतिरिक्त पद देने, तथा राज्य सरकार के सिपाही से निरीक्षक तक पुलिस कर्मचारियों को एक महीने का अतिरिक्त वेतन देने से हुआ 1.36 करोड़ रूपये का अतिरिक्त खर्च; (ग) पैं ान की अदायगी तथा सेवा निवृति लाभों पर खर्च जोकि निम्न कारणों से हुए है:–

(1) अप्रत्याि ात समायोजन,

(2) राज्य परिवहन विभाग के कर्मचारियों की भविश्य निधि में योगदान, तथा

(3) हरियाणा के भूतपूर्व विधायकों को पैं ान अदायगी,

जिन सब मद्दों पर तकरीबन 1.63 करोड़ रूपये का खर्च हुआ; (घ) राज्य सरकार द्वारा अपने साधनों से काम के बदले अनाज कार्यक्रम मैं योगदान, जिस पर 1.75 करोड़ रूपये खर्च करने की आ ाा है; (ड़) राज्य सरकार द्वारा समान आधार पर अनुदान देने की योजना में योगदान (0.50करोड़ रूपये), (च)

सहकारी क्षेत्रों में काम करी रही चीनी मिलों को ऋण के रूप में आर्थिक सहायता (2.13करोड़), कुरूक्षेत्र में सूर्य ग्रहण मैले के दौरान हुआ खर्च (0.43 करोड़) तथा नगरपालिकाओं को सफाई कर्मचारियों को वि ोश भत्ता देने के लिए दिया गया अनुदान (0. 07करोड़ रूपये)। प्राकृतिक आपदाओं के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था को जो धक्का लगा था, तथा बजट के प चात जो आव यक आयोजना भिन्न व्यय स्वीकृत किए गए, उस स्थिति से निपटने के लिए यह निर्णय लिया गया था कि ऋण सेवा चार्जों, पैं ान के फायदे, सहायता खर्चों, पुलिस विभाग, अस्पताल तथा जेल फुटकर खर्चों को छोड़कर राज्य के अन्य सभी विभागों के प्र ाासनिक खर्चों पर 6 प्रति ात का तदर्थ आर्थिक संकट लगाया जाये। राज्य सरकार के जो बकाया, खास तौर से जोकि सरकारी प्रतिश्ठानों के पास हैं, उन्हें वसूल करने के लिए कदम उठाए गए। भारत सरकार से सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कृपिनिवे ाों की खरीद तथा वितरण के लिए अल्प अवधि के ऋण राज्य सरकार को देने की प्रार्थना की गई। इन कदमों के साथ–साथ राज्य सरकार की आय में आबकारी भाुल्क, मुद्राक भाुल्क एवं पंजीकरण से आय की वृद्धि होने के कारण राज्य सरकार न केवल अतिरिक्त खर्चे पूरे कर सकी, बज्कि साथ ही आर्थिक स्थिति में भी काफी सुधार हुआ। इन प्रयत्नों द्वारा राज्य सरकार को यह आ ाा है कि वह अपने विकास कार्यों की गति बनाए रख सकेगी। वर्तमान वितीय वर्श में बजट में रखी गई वार्शिक योजना कुल 227.30 करोड़ रूपए की थी। सं ाोधित अनुमानों में यह घटकर 219.76 करोड़

रूपए की रह गई है। इसम कमी का प्रमुख कारण यह है कि पंजाब क्षेत्र में सतलुज–यमुना लिंक पर जो परियोजना कार्य होते थे, उन पर खर्च होने वाला 16 करोड़ रूपए का प्रावधान समर्पित कर दिया गया है। इस समर्पण में से 8.46 करोड़ रूपए अन्य विकास मद्दों के लिए पुनर्विनियोजित किए गए। राज्य सरकार के कड़ाई के साथ दिए गए वितीय प्रबन्ध के द्वारा तथा अनुत्पादी खर्च पर नियंत्रण करने से ही अर्थ व्यवस्था को मजबूत रखा जाना संभव हुआ है और यह हम सबके लिए संतोश का विशय होना चाहिए।

बजट अनुमान 1980–81

अब मैं सदन के सम्मुख वितीय अनुमान 1980–81 प्रस्तुत करूंगा। इन बजट अनुमानों में साल के अन्त में 31.14 करोड़ रूपए का घाआ विकल्पित है। इस घाटे मैं वर्श के प्रारम्भ का 17.52 करोड़ रूपए का घाटा भी भाामिल है जिसे कि सं ाोधित अनुमान 1979–80 द्वारा आंका गया है। इन बजट अनुमानों में लगभग 15 करोड़ रूपए भाामिल नहीं है, जोकि राज्य सरकार को वेतन आयोग की सिफारि ाों को लागू करने के उद्दे य से खर्च करने होंगे। इस व्यय को अनुमानों में इसलिये भाामिल करना सम्भव नहीं हुआ है क्योंकि अभी सभी मद्दों एवं सवर्गों से संबंधित निर्णय नहीं लिये गये है एवं जिन के बारे निर्णय लिये जा चुके हैं उनका भी बजट के प्रत्येक भीर्श में फैलाव वेतन पुनः नियतन के प चात् ही सम्भव हो सकेगा। इस

खर्चे को भाामिल करने के बाद अनुमानित घाटा 31.14 करोड़ से बढ़ने की आ ांका है। राज्य के विभागों के प्र ाासनिक खर्चों पर सरकार द्वारा पूर्ण नियंत्रण रखा जाएगा और राज्य की आर्थिक स्थिति के उत्थान के लिए हर सम्भब प्रयत्न किएं जाएंगे।

वार्शिक योजना 1980–81

वार्शिक योजना 1980–81 का अनन्तिम आकार योजना आयोग के साथ विचार–विम र्ा के फलस्वरूप 240.50 करोड़ रूपये तय किया गया है। कृशि तथा सहायता सेवाएं, जिसमें सहकारिता भी भाामिल हैं, के लिए 36.17 करोड़ रूपए के खर्चे का प्रावधान किया गया है, सिंचाई एवं बिजली पर 144.61 करोड़ रूपए का व्यय प्रस्तावित है तथा समाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर 32.98 करोड़ रूपए के खर्च का प्रावधान है। स्पश्ट है कि कृशि, सिंचाई एवं बिजली क्षे़त्रों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। विकास की विभिन्न मद्दों के लिए जो प्रावधान है, उनका व्याख्यान योजना स्कीमों केक व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिया गया है।

मैं अब राज्य के विभिन्न विभागों की गतिविधियों का वर्णन, सदन के सूचनार्थ करना चाहूंगा।

सिंचाई

हरियाणा की आर्थिक व्यवस्था मुख्यतः कृशि पर आधारित है तथा सिंचाई की सुविधायें कृशि के विकास के लिए अत्यन्त आव यक है। इससिए सिंचाई के पानी का प्रबन्ध करने

और नये क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधायें प्रदान करने की योजनाओं को राज्य सरकार परम अग्रता दे रही है। बड़ी तथा माध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर वर्श 1980–81 में 52.98 करोड़ रूपये खर्च करने का प्रावधान है। इसमें वह 6 करोड़ रूपये भी भाामिल हैं, जोकि पंजाब राज्य की सीमा में सतलुज–यमुना लिंक नहर बनाने के लिए खर्च किए जान हैं। इससे सतलुज यमुला लिंक नहर, जोकि रावी–ब्यास नदियों में से हरियाणा राज्य के हिस्से के पानी को लाने के लिए बनाई जा रही है, पर इस राज्य के क्षेत्र मैं काफी प्रगति हो चुकी है और आ ाा की जाती है कि जून, 1980 तक यह कार्य हरियाणा राज्य क्षेत्र में पूरा हो जाएगा। जहां तक पंजाब क्षेत्र में इस परियोजना पर कार्य किए जाने का प्र न है, दुर्भाग्यव ा उसमें अभी तक कोई वि ोश प्रगति नहीं हुई है, परन्तु हमारा वि वास है कि पंजाब राज्य इस कार्य को भीघ्र ही आरम्भ कर देगा। लघु सिंचाई परियोजनाओं पर एक करोड़ रूपये, वर्श 1980–81 के दौरान खर्च करने का प्रस्ताव है।

रावी–ब्यास के पानी में हरियाणा के हिस्से को राज्य की सिंचाई योजनाओं में लाने के प चात, हमारा उद्दे य है कि इस पानी का अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए सुचारू ढ़ंग अपनाये जाये। इसी उद्दे य से वर्तमान सिंचाई कार्यक्रमों के आधुनिकीकरण तथा वर्तमान नहरों को पक्का करने के कार्य को वि ोश प्राथमिकता दी जा रही है। वि व बैंक द्वारा हरियाणा में नहरों के आधुनिकीकरण की परियोजनाओं के लिए आर्थिक

सहायता दी जा रही है और इस कार्य के लिए 1978 से आरम्भ होने वाले चार वर्शों में 58.60 करोड़ रूपये व्यय करने का अनुमान है। इसी कार्य के लिए वर्श 1979–80 में 18 करोड़ रूपये तथा वर्श 1980–81 में 17.50 करोड़ रूपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। इस परियोजना के अन्र्तगत चार वर्शों में 25 करोड़ वर्ग फुट नहरों को पक्का करने का प्रस्ताव है। इस से लगभग 1500 क्यूसिक पानी की बचत होगी, जोकि 1.37 लाख हैक्टेयर नए क्षेत्र में सिंचाई के कार्य के लिए प्रयोग किया जा सकेगा।

पानी के प्रयोग के लिए आधुनिक तथा उन्न्त ढंग अपनाये जाने की नीति के अनुसरण में राज्य के पि चमी भाग, जहॉ कि ऊंची नीची भूमि तथ रेत के टिब्बे आदि होने के कारण, आम तौर से प्रयोग की जाने वाली सतही सिंचाई प्रणाली द्वारा सिंचाई सफलतापूर्वक नहीं की जा सकती, में सिंचाई सुविधायें प्रदान करने के लिए नहरों पर 100 छिड़काव यंत्र, प्रयोग के तौर पर लगाये जाने का विचार है। इन क्षेत्रों में, जोकि अत्यन्त सूखाग्रस्त हैं, उठान सिंचाई योजनाओं में भी काफी प्रगति हुई है और यह अनुमान है कि लोहारू तथा सिवानी उठान सिंचाई परियोजनाओं को मार्च, 1981 तक पूरा कर लिया जाएगा। जवाहर लाल नेहरू उठान सिंचाई परियोजना पर 1979–80 तथा 1980–81, प्रति वर्श, 10.50 करोड़ रूपए के खर्च का प्रावधान है।

माननीय सदस्यों को यह भलि–भांति पता है कि 1977 तथ 1978 मैं राज्य में काफी बाढ़ आई थी, जिससे कि राज्य के बहुत बड़े भाग में खेतिहारों को भारी नुक्सान का सामना करना पड़ा भविश्य में इस प्रकार के संकटों से बचाव के लिए, राज्य सरकार ने एक सलाहकार समिति गठित की थी, जिसने विचार–विम र्ा के उपरान्त एक विस्तृत बाढ़ नियन्त्रण तथा जल निकास योजना को कार्यान्वित करने का सुझाव दिया था, जिस पर लगभग 138 करोड़ रूपये व्यय होने की सम्भावना है। इन परियोजनाओं पर वर्श 1979–80 में 20 करोड़ रूपये, और वर्श 1980–81 में 16.90 करोड़ रूपये खर्च किए जाने की व्यवस्था है। इस संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं नामतः उजीना डाइवर ान ड्रेन साहिबी नदी पर मसानी बराज का निर्माण, गांवों के चारों तरफ रिंग बांधों का निर्माण तथा अलग–थलग, ऊंचे–नीचे क्षेत्रों को मुख्य जल निकास प्रणाली से जोड़ने के लिए उचित निकास प्रणाली का निर्माण है। इन योजनाओं पर आगामी पांच वर्शों में काफी तेजी से कार्य किए जाने का प्रस्ताव है, जिससे राज्य को भयंकर बाढ़ के संकट से बचाया जा सके।

वर्श 1979–80 के दौरान लघु सिंचाई तथा नलकूप निगम द्वारा 130 आवर्धन तथा 50 सीधे सिंचाई नलकूप लगाये जाने की व्यवस्था है। इसमें से 80 नलकूप वि व बैंक परियोजनाओं के अधीन लगाये जा रहे है और इस वर्श इस योजना पर कुल 4.36 करोड़ रूपये खर्च होने का अनुमान है।

आगामी वर्श में 3.90 करोड़ रूपये की लगत से इतने ही नलकूप और लगाये जाने की व्यवस्था है। इस निगम द्वारा पानी के कच्चे खालों को पक्का किए जाने का कार्य भी किया जा रहा है और वर्श 1979ऋ80 में 800 कच्चे खालों को पक्का किये जाने की व्यवस्था है, जिस पर 19.23 करोड़ रूपये के खर्च की संभावना है। इसमें से 573 जलमार्ग वि व बैंक परियोजना के अंतर्गत हैं, जिस पर 13.60 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। वर्श 1980–81 के दौरान 18.00 करोड़ रूपये की लागत से 666 खाल पक्के किये जायेगे। इन 666 खालों की कुल लम्बाई 3000 किलोमीटर होगी और कुल खर्च में से 13.50 करोड़ रूपये वि व बैंक कार्यकम के अधीन दिए जायेंगे।

उपरोक्त विवरण से यह स्पश्ट है कि राज्य में लघु सिंचाई को पर्याप्त महत्व दिया जा रहा है।

विद्युत

आज के युग में अर्थव्यवस्था के लिए विद्युत एक अनिवार्य निवे ा है और कृशि तथा उद्योग दोनों ही क्षेत्र, इस पर अत्यन्त निर्भर है। इससे पहले कि मैं वर्श 1980–81 के लिए इस कार्यकम के अर्न्तगत सरकार के प्रस्तावों पर प्रका ा डालूं, मैं सदन को यह बताना चाहूंगा कि पानीपत ताप बिजली घर, चरण–1 की 110 मेगावाट की प्रथम यूनिट नवम्बर, 1979 में भारत के राश्ट्रपति महोदय द्वारा उद्घाटित की गई थी। 110 मेगावाट

की दूसरी यूनिट भी बिजली उत्पादन के लिए तैयार है। हरियाणा राज्य की बिजली की आव यकताओं को पूरा करने के लिये 2000 मेगावाट के मिले जुते बिजली उत्पादन की जरूरत 1983–84 तक है, जबकि वर्तमान क्षमता 1071.5 मेगावाट है। उक्त कुल आव यकता को देखते हुए वर्तमान क्षमता में जो कमी है, उसको पूरा ''डेहर एक्सटें ान'' द्वारा उत्पादित बिजली में हरियाणा का भाग (165–165 मेगावाट की दो यूनिटें), पोंग परियोजना (60–60 मेगावाट की दो यूनिटें), पानीपत ताप बिजली घर, चरण–1 (110–110 मेगावाट की दो यूनिटें) तथा इसी क्षमता के चरण–II व चरण–III, यमुनानगर ताप बिजली घर (200 मेगावाट प्रति यूनिट की चार यूनिटें) से प्राप्त बिजली से किया जाना प्रस्तावित है। इनके आतिरिक्त पि चमी यमुना नहर पर 64 मेगावाट के एक छोटे हाईडल बिजली घरों पर भी काम भुरू हो चुका है। परन्तु आर्थिक विकास के साथ–साि बिजली की मांग में अविराम वृद्धि होना स्वाभाविक है। इस कराणव ा राज्य सरकार के लिये यह आव यक है कि दूर भविश्य की आव यकताओं को पूरा करने के लिए भी कदम उठाये जायें। इन परिस्थितियों में सदन को इस बात से संतोश होगा कि हिमाचल प्रदे ा में स्थित नाथपा–झाकड़ी जल बिजली परियोजना में हरियाणा द्वारा उस राज्य के साथ सांझेदारी में निर्माण करने एवं उस परियोजना से उत्पादित बिजली में हरियाणा राज्य को देय हिस्से, जिस सम्बन्ध में वार्तालाप पहले से ही जारी थी, पर अब अन्तिम निर्णय हो चुका है एवं इसके फलस्वरूप 29 जनवरी, 1980 को दोनों राज्यों ने समझौते पर

हस्ताक्षर किये। इस परियोजना की प्रतिश्ठित क्षमता 1020 मेगावाट प्रस्तावित है और इससे संभावित ऊर्जा का उत्पादन 500 करोड़ यूनिट प्रति वर्श होगा। इस परियोजना में बिजनी उत्पादन पर होने वाले पूंजीगत व्यय को हरियाणा व हिमाचल प्रदे ा के बीच 80:20 के अनुपात में वहन किया जायेगा तथा बिजली उत्पादन को दोनों राज्यों के मध्य 70:30 के अनुपात में बांटा जायेगा। इसके अतिरिक्त सिंगरौली सुपर ताप बिजली घर में से हरियाणा को 320 मेगावाट और बैरासियूल हाईडल बिजली घर से 201 मेगावाट बिजली मिलने का भी अनुमान है।

वर्श 1980–81 की वार्शिक योजना में बिजली क्षेत्र के लिये 71.66 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इसमें से 37.64 करोड़ रूपये बिजली उत्पादन के लिये निर्धारित किये गये है। बिजली उत्पादन को दूरदराज क्षेत्रों में ले जाने के लिए संचारण पद्धति को सुव्यवस्थित किया जा रहा है, जिस पर 23 करोड़ रूपये वर्श 1980–81 में खर्च किये जाने का प्रावधान है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली ले जाने तथा इसे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिये वितरक तारें लगाने हेतु 10.32 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड का यह लक्ष्य है कि अगले वर्श 20,000 नलकूपों को बिजली पहुंचाई जाये और 3,500 ओद्योगिक तथा 75,000 आम सेवा के कनैक ान दिये जायें। सरकार का यह भी लक्ष्य है कि गांवों के अन्दर गलियों में रो ानी हेतु बिजली लगाये जाने की सुविधा दी जाये और प्रति

वर्श 500 गांवों को इस प्रकार की सुविधा दिये जाने की संभावना है।

कृशि उत्पादन

हरियाणा की अर्थव्यवस्था केवल कृशि प्रधान ही नहीं है बल्कि प्रमुखतयः खादयान प्रधान भी कहा जा सकती है, अतः सरकार का यह भरसक प्रयत्न है कि इस पर हुये सूखे के प्रकोप को अत्यन्त सामित रखा जाये। जैसे मैं कह चुका हूं , यद्यपि वर्श 1978–79 के दौरान खाद्यान उत्पादन 63.54 लाख टन तक पहुच गया था, वर्श 1979–80 के लिये 60.10 लाख टन मात्र का ही लक्ष्य निर्धारित करना पड़ा, जिसमें से 18.50 लाख टन का उत्पादन खरीफ की फसल के दौरान किया जाना था। परन्तु खरीफ की फसल पर हुये सूखे के प्रकोप के कारण अनुमानतः 165 करोड़ रूपये के खाद्यानों को नुकसान हुआ। अस्तु, सरकार का यह प्रयत्न है कि खाद्यान के उत्पादन में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए रबी उत्पादन पर बल दिया जाये और इसके लिये हर सम्भव प्रयत्न किये जा रहे है। उद्दे य यह है कि कृशि के अन्तर्गत क्षे़त्र में वृद्धि के साथ–साथ प्रति इकाई क्षेत्र में हाने वाली उपज में भी बढ़ोतरी की जाये, परन्तु डीजल तथा बिजली की कमी के कारण, राज्य सरकार के प्रयत्नों को धक्का लगा है। वर्श 1979–80 के दौरान कृशि क्षेत्र के कार्यकमों के लिये 17.48 करोड़ रूपये तथा वर्श 1980–81 के लिये 17.46 करोड़ रूपये का योजनागत प्रावधान किया गया है।

कृशि उपज वृद्धि के लिये यह अनिवार्य है कि उन्नत प्रकार के बीज किसानों को दिये जायें, अतः वर्श 1979–80 के दौरान खरीफ तथा रबी फसलों के लिए क्रम ाः 31,602 तथा 94,988 क्विंटल बीज किसानों को दिये जाने का लक्ष्य था। प्रमाणित बीजों की बिक्री सहकारिता ऋणों के आधार पर किये जाने का प्रयत्न किया जा रहा हैं। सूखे की स्थिति के कारण सरकार द्वारा 1.79 करोड़ रूपये प्रमाणित बीज खाद तथा कीटना ाक दवाईयों के लिए, किसानों को आर्थिक सहायता के रूप में उपलब्ध किये गये है। हरियाणा राज्य बीज विकास निगम द्वारा 1.79 करेाड़ रूपये प्रमाणित बीज, खाद तथा कीटना ाक दवाईयों के लिए किसानों को आर्थिक सहायता के रूप में उपलब्ध किये गये है। हरियाणा राज्य बीज विकास निगम द्वारा, बीजों का उपयोगीकरण क्षमता को बढ़ाने के लिए, एक लाख क्विंटल की क्षमता का एक संयत्र, कुरूक्षेत्र जिले में ऊमरी में लगाया जा रहा है, जिसे अप्रैल, 1980 तक भाुरू किए जाने का अनुमान है। रासायनिक खादों के प्रयोग में भी निरन्तर वृद्धि हो रही है और खरीफ वर्श 1979 के दौरान 70,474 टन रासाययिनक खादों की खपत हुई तथा रबी की फसल के दौरान भी अच्छी मात्रा में इनका प्रयोग किये जाने का लक्ष्य पूरा कर लिया जायेगा। रासायनिक खादों के प्रयोग के विशय में एक मुख्य बिंदु यह है कि अब यह खपत काफी संतुलित हो गई है और विभिन्न पोशक तत्वों के प्रयोग में एक संबंध है।

राज्य में भूमिगत जल के विकास के लिये आव यक कदम उठाये जा रहे है। खरीफ 1979 के सूखे के दौरान 1,98,205 नलकूप तथा पम्पिंग सैट कार्यरत थे। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, छिड़काव यंत्रों द्वारा सिंचाई सुविधा का विकास किया जा रहा है, जोकि राज्य के पि चमी जिलों के लिये बहुत उपयोगी साबित हो रहा है। इस कार्य के लिए एक वि ोश अभियान चलाया गया है और अब तक इस अभियान के अन्तर्गत 1800 छिड़काव यंत्र लगाये जा चुके है। इस कार्य पर ऊंची पूंजी निवे ा की दर को देखते हुए, सरकार द्वारा 25 प्रति ात की आर्थिक सहायता दी जा रही है। 1980–81 से 1983–84 तक 2500 छिड़काव यन्त्र लगाये जाने के लिए एक योजना बनाई गई है जिस पर 6.85 करोड़ रूपये खर्च होने का अनुमान है।

उपरोक्त से स्पश्ट है कि राज्य सरकार का यह प्रयत्न है कि सिंयाई सुविधाओं का अधिकाधिक प्रयोग किया जाये। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए खुली तथा भूमिगत सिंचाई परिवहन की सुविधायें, छिड़काव यंत्रों, पानी के लिए पक्के खालों का निर्माण, तथा जमीन भू–सरंक्षण के कार्य को जल विभाजक आधार पर किया जाए, जिससे कि बाढ़ का भय कम हो सके।

कृशि क्षेत्र में उत्पादन की वृद्धि के लिए यह आव यक है कि ऊसर भूमि को कृशि योग्य बनाया जाए अतः इसी उद्दे य से क्षारीय जमीन को कृशि योग्य बनाने के कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है और इस वर्श 8000हैक्टेयर ऐसी भूमि को कृशि

योग्य बनाए जाने का लक्ष्य है। सरकार का यह प्रयत्न है कि फल तथा सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए और फसलों को विभिन्न बीमारियों से बचाया जाए। वर्श 1979–80 के दौरान, 1.08 लाख हैक्टेयर भूमि पर दवाईयों का हवाई छिड़काव करने का लक्ष्य है। यह आ ाा है कि वर्श 1979–80 के दौरान 9.75 लाख हैक्टेयर भूमि पर कीटाणुओं की रोकथाम की जाएगी। अपतृण से फसलों को बचाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कीटना ाक दवाईयों पर 25 प्रति ात की आर्थिक सहायता दी जा रही है और यह आ ाा है कि वर्श 1979–80 के दौरान 4.30 लाख हैक्टेयर भूमि पर अपतृण की रोकथाम का कार्य किया जाएगा। किसानों को आधुनिक कृशि तरीकों का प्रसार करने के लिए कृशि विभाग द्वारा हर संभव प्रयत्न किए जा रहे है और इसी उद्दे य से वि व बैंक की सहायता से एक प्र ाक्षण तथा भेंट प्रणाली योजना प्रारम्भ की गई है।

यह अत्यन्त आव यक है कि खाद्यानों का सुरक्षित ढंग से भण्डार किया जाए और इसके लिए हरियाण वैयर हाउसिंग निगम द्वारा विभिन्न मंडियों में 66 गोदाम चलाएं जा रहे है। आगामी खरीफ की फसल से पहले खाद्यान्नों के भंडार के लिए अतिरिक्त सुविधाओं को एक योजना के अर्न्तगत प्रदान किया जा रहा है, जिसके अधीन 1.20 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त भंडार क्षमता के गोदाम बनाए जाएगे जिस पर कुल खर्च 3.60 करोड़ रूपये होगा। वर्श 1980–81 के लिए 2.40 करोड़ रूपय की लागत

से 75 हजार मीट्रिक टन क्षमता के अन्न गोदामों का बनाया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त आगामी वर्श में इस निगम द्वारा 16 नए गोदाम बनाने का लक्ष्य है, जिस में से 15 गोदाम गांवों में होंगे।

हरियाणा राज्य कृशि विपणन बोर्ड द्वारा वि व बैंक की ऋण सुविधा का प्रयोग करते हुए, 23.43 करोड़ रूपए की लागत से 22 नई मंडियां स्थापित करने तथा चार मंडियों को विकसित करने की एक योजना चलाई गई है। इन मंडियों में सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

राज्य के सूखाग्रस्त तथा मरूस्थलीय क्षेत्रों की समस्याओं की ओर राज्य सरकार वि ोश ध्यान दे रही है और इन क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में सुधार यहां के अविकसित ढांचे तथा कृशि, दोनों के विकास द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए सूखाग्रस्त क्षेत्र के विकास कार्यक्रम के अर्न्तगत वर्श 1979–80 के दौरान 1.80 करोड़ रूपये खर्च किए जाने प्रस्तावित है। मरूस्थलीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आगामी वर्श में 3.90 करोड़ रूपये खर्च किए जाने का प्रस्ताव है। लघु तथा सीमान्त किसानों के विकास पर भी सरकार पर्याप्त ध्यान दे रही हैं और इस कार्य के लिए एस0एफ0डी0 तथा आई0आ0डी0 योजनाओं के अन्तर्गत आगामी वर्श 4.55 करोड़ रूपए खर्च किए जाने का प्रस्ताव है।

प ुपालन

प ु पालन कृशि की एक सहवद्ध गतिविधि है और हरियाणा राज्य में इस गतिविधि को प्राचीन काल से ही काफी महत्व दिया जाता रहा है। मुर्रा नस्ल की भैंसे तथा हरियाणा गाय इस क्षेत्र की ही देन है। प ु पालन विभाग का यह प्रयत्न है कि देसी नस्ल के प ुओं में विदे ाी नस्ल के उत्तम सांडों के वीर्य से संकर प्रजनन करा के दूध की मात्रा को बढ़ाया जाए। प ुधन को बीमारियों आदि से बचाने कि लिए भी ठोस कदम उठाए जा रहे है। कृत्रिम गर्भादान केन्द्रों तथा प ुधन केन्द्रों के द्वारा राज्य के प ुओं की नस्ल में सुधार के प्रयत्न किए जा रहे है।

मुर्गी पालन तथा सूअर पालन के क्षेत्र में काफी प्रगति की गई है। आई0आर0डी0पी0 कार्यक्रम के अधीन हिसार में एक हैचरी एवं कुक्कुट प्रजनन फार्म की स्थापना की गई थी जोकि अब विभाग को सौंप दिया गया है। समाज के कमजोर वर्गों में सुअर पालन के कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जा रहा है। भेड़ तथा ऊन विकास क्षेत्र में भी राज्य में काफी प्रगति हुई है और इस कार्य के लिए प्रजनन सुविधायें और स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधायें राज्य की भेड़ों को दिये जाने के प्रयत्न विभाग द्वारा किये जा रहे है। आई0आर0डी0पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत हिसार में दो भेड़ व ऊन विकास केंद्र और एक ऊन श्रेणीकरण तथा विपणन केंद्र स्थापित किये गये थे जोकि इस वर्श राज्य सरकार के प ु पालन विभाग

को स्थानान्तरित कर दिये गये है। प ा पालन विभाग द्वारा भेड़ पालकों को अपने उत्पादन के लिये उचित मूल्य मिल सके।

राज्य मैं प ा पालन के विकास के लिये यह आव यक है कि प ाधन को पर्याप्त तथा उचित स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की जाये। इस कार्य के लिए 251 प ा अस्पताल तथा 248 प ा औशद्यालय राज्य में कार्यरत हैै। प ाओं में फैलने वाली उग्र बीमारीयों की रोकथाम के लिए 1.40 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया हैै। इस दौरान हिसार के मुर्रा भैंस प्रजनन फार्म का और विकास किया जायेगा तथा 20 नये प ा औशद्यालय खोले जायेंगे। अच्छी नस्सल के प ाओं को राज्य से बाहर ले जाने से रोकने के उद्दे य से विभिन्न प्रद र्ानियों एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जायेगा, जिससे कि वे इन प ाओं को राज्य के बाहर न भेजें। तीन ऐसी गौ ाालाओं को, जिनमें दूध उत्पादन केंद्रों के रूप में कार्य करने की क्षमता है, संकर प्रजनन और भैंसें रखने के लिये अनुदान दिया जायेगा, जिस से कि वे प ाओं के लिये दवाईयां और उपकरण आदि खरीद सकें। छोटे तथा सीमान्त किसानों एवं समाज के कमजोर वर्गों को और कृशि मजदूरों को मुर्गी पालन, सूअर पालन तथा भेड़ पालन के लिए सहायता दी जायेगी, जिससे कि उन की आर्थिक द ाा में सुधार हो। हिसार में एक बकरी प्रजनन फार्म स्थापित किये जाने का विचार है, जिससे कि राज्य की बकरियों से अधिक दूध उत्पन्न हो सके।

डेरी विकास

प्राचीन काल से ही हरियाणा की जनता के लिये दुग्ध विकास एक महत्वपूर्ण गतिविधि रही है और दुग्ध तथा दूध से बने पदार्थों का राज्य की आय में लगभग 7.5 प्रति ात भाग है। अतः इस क्षेत्र का जितना अधिक विकास होगा उतना ही इस राज्य की आर्थिक अवस्था तथा राज्य के कृशकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। वर्श 1979–80 के दौरान, 1620 लोगों को आधुनिक दुग्ध विकास की तकनीक में प्र ि ाक्षण दिया गया और वर्श 1980–81 के दौरान इस क्षेत्र में 3.10 लाख रूपये का व्यय योजना के अन्तर्गत करने का प्रावधान है। अच्छी नस्ल के दुधारू प ाुओं की खोज का कार्य करनाल स्थित राज्य डेरी प्रयोग ााला द्वारा किया जा रहा है, जिस के लिए वित वर्श 1979–80 में 1.98 लाख रूपये तथा वर्श 1980–81 में 1.78 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में व्यवसाय का अवसर प्रदान करने के उद्दे य से लघु डेरी इकाईयां स्थापित किये जाने का एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिस के अन्तर्गत वर्श 1979–80 में 1600 ऐसी इकाईया स्थापित किये जाने का कार्यक्रम है।

सहकारिता

हरियाणा राज्य में सहकारिता आन्दोलन ने सन् 1966 से अब तक काफी प्रगति की है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर उस का व्यापक प्रभाव रहा है। सहकारी समितियों द्वारा कृशि कार्यों

के लिये काफी बड़ी मात्रा में ऋणों की व्यवस्था की गई है। राज्य में सहकारी समितियों के सदस्यों की संख्या 19 लाख के लगभग है। विभिन्न सहकारी समितियों की कार्यरत पूंजी वर्श 1978–79 में 600.77 करोड़ रूपये थी, जबकि 1966–77 में यह केवल 58.90 करोड़ रूपये थी। सहकारी समितियों द्वारा कृशकों को लघु, मध्यम तथा लम्बी अवधी के लिए ऋण दिये जाते है और फसल ऋण देने की प्रणाली में इस वर्श कुछ सुधार किया गया है। अब प्रत्येक सदस्य की ऋण देने की प्रणाली में इस वर्श कुछ सुधार किया गया है। अब प्रत्येक सदस्य की ऋण सीमा 3 वर्श के लिए निर्धारित कर दी जायेगी और इसके बाद यह चैक प्रणाली द्वारा पैसे देने का हकदार होगा। इस प्रकार कृशकों की मिनी बैंक के कर्मचारियों पर निर्भता कम हो जायेगी। राज्य में सूखें की स्थिति को देखते हुए प्रथम दिसम्बर, 1979 से मध्यम अवधि के ऋणों को मध्यम अवधि के ऋणों में परिवर्तित कर दिया गया है। यह अनुमान है कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों में लगभग 25 करोड़ के लघु के ऋणों को मध्यम अवधि के ऋणों में परिवर्तित किया जायेगा।

हरियाणा राज्य कोआप्रेटिव सप्लाई एण्ड मार्किटिंग फैडरे ान किसानों को कृशि निवे ा देने का तथा कृशि उपज के संसाधन एवम् निपटान का कार्य कर रहा है। हैफेड द्वारा वर्तमान योजना अवधि में 4 चावल भौलरों के लगाने के प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त दो कपास धुनाई केद्र् और एक कपास बीज

उपयोगीकरण संयन्त्र भी खोले है, जिन पर कुल 3.06 करोड़ रूपए की लागत का अनुमान है। ये परियोजनाये वि व बैंक की सहायत से पूरी की जा रही है। वि व बैंक के कार्यक्रम के अर्न्तगत पूरी की जाने वाली योजनाओ में खाद्यान्नों के लिये गोदाम बनाने की भी एक योजना है। इस योजना के अधीन 1500 गोदाम बनाने का लक्ष्य है। इसी परियोजना के अन्तर्गत पूरी की जाने वाली योजनाओं में खाद्यान्नों के लिए गोदाम बनाने की भी एक योजना है। इस योजना के अधीन 1500 गोदाम बनाने का लक्ष्य है। इसी परियोजना के अन्तर्गत हैफेड द्वारा 70 गोदाम बनाने का लक्ष्य है, जिसमें से 14 पूरे हो चुके है और 12 पर कार्य चल रहा है। यह आ ाा है कि हैफेड द्वारा यह काम समय से पहले पूर्ण कर लिया जायेगा। इस कार्यक्रम को पांच वर्श में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है और इस पर 15.70 करोड़ रूपये खर्च होने का अनुमान है। सहकारी समितियों द्वारा 23 गोदामों का निर्माण आरम्भ किया जा चुका है और 459 जगहों पर इस कार्य के लिए भूमि अभिग्रहण की जा चुकी है।

सहकारिता विभाग द्वारा आम व्यक्तियों को दैनिक आव यकताओं की वस्तुओं की पूर्ति किये जाने हेतु ठोस कदम उठाये जा रहे है तथा हाल ही मैं 15 नये केंद्रीय सहकारी उपभोक्ता स्टोरों को पंजीकृत किया गया है, जिससे कि राज्य में इनकी संख्या बढ़कर 32 हो गई है। गांवों की आव यकताओं को पूरा करने के लिए प्रथम जुलाई, 1979 से ग्रामीण क्षेत्रों में

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आरम्भ किया गया था और अब तक 1150 गांव इस प्रणाली के अधीन आ चुके है। यह अनुमान है कि 30 जून, 1980 तक दो हजार या इससे अधिक आबादी वाले सभी गांवों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन ले लिया जायेगा।

राज्य में अन्य कई सहकारी संस्थान ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये कार्य कर रहे हैं। हरियाणा राज्य सहकारी दुग्ध विकास फैडरे ान द्वारा सिरसा जिला में एक दुग्ध संस्थान की स्थापना की जा रही है। राज्य में स्थित चार सहकारी चीनी मिलों द्वारा वर्श 1978–79 के दौरान 70.75 लाख क्विंटल गन्ना पेरा गया तथा 6.25 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन किया गया। सहकारिता विभाग के लिये वर्श 1980–81 की योजना में 3.95 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इस में विभिन्न सहकारी समितियों को पूंजी हिस्से के रूप में दिये जाने वाले 3.30 करोड़ रूपये और ऋण के रू‍ में दिये जाने वाले 5.03 लाख रूपये भाामिल है। इस परियोजना खर्च के अतिरिक्त राश्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा 1.60 करोड़ रूपये सहकारी समितियों की सहायता के लिए दिए जायेंगे।

पंचायतें

पंचायती राज संस्थाओं के विकास के लिय वर्श 1980–81 के दौरान 57 लाख रूपयें का प्रावधान है। इस अवधि

मैं पंचायतों को राजस्व आमदनी की योजनाओं के लिए सहायता दी जायेगी और गांवों में विकास कार्यों के लिए धन इक्ट्ठा करने वाली पंचायतों को समान आधार पर अनुदान दिया जायेगा। राज्य में 5,260 ग्राम पंचायतें हैं, जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य करने के लिये, वर्श 1979–80 के दौरान 11.90 लाख रूपये का अनुदान दिया गया। इस कार्य के लिये आगामी वित वर्श में 18. 10 लाख रूपये का प्रावधान है। वर्श 1979–80 के अन्त तक राज्य में 1,366 गांवों के लिये राश्ट्रीय जल पूर्ति योजना के अन्तर्गत पेय जल की व्यवस्था की जायेगी। वर्श 1979–80 में इस योजना के अनुरक्षण के लिये 165 लाख रूपये तथा 1980–81 में 180 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है।

गत वर्श ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के लिए काम के बदले अनाज कार्यक्रम आरम्भ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्दे य ग्रामीण विकास, सार्वजनिक पूंजी का निर्माण तथा ग्रामीण अविकसित ढांचें को विकसित करना है। इस कार्यक्रम के लिये भारत सरकार द्वारा वर्श 1979–80 के दौरान साठ हजार मीट्रिक टन खाद्यान राज्य सरकार को उपलब्ध किया गया, जिस में से 35 हजार मीट्रिक टन सूखग्रस्त क्षेत्रों के लिये थे। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त हुए गेहूं से ग्रामीण क्षेत्रों में हरिजन चौपालें बनाने, गांव के इर्द–गिर्द बांध बनाने और सड़कों को पक्का करने एवं जोहड़ों का गहरा करने जैसे विकास कार्य किये गये।

वन

हरियाणा राज्य के लिए वन बहुत आव क है, क्योंकि यह राज्य के पि चम से रेगिस्तान का बढ़ना रोकते है तथा सूखे ही राज्य में बाढ़ को नियन्त्रित करने में सहायक है। इस के अतिरिक्त वन, वातावरण सुधारने में, और ईधन तथा इमारती लकड़ी, चारा तथा अन्य वन उत्पादनों की आव यकताओं को पूरा करने में सहायक है। हरियाण राज्य में केवल मनुश्य द्वारा लगाये गये अर्थात कृत्रिम वन ही है। विभाग द्वारा ईधन तथा इमारती लकड़ी की आव यकतापूर्ति के लिये वृक्षों को काटने का काम विभागीय तौर पर भी किया जा रहा है तथा वार्शिक उत्पादन का लगभग 30 प्रति ात इस प्रकार उपलब्ध किया जा रहा है। कृशि की भूमि पर दबाव को कम करने के उद्दे य से वन विभाग द्वारा पंचायतों तथा आम भूमि पर वन लगाने का कार्य किया जा रहा है और वर्श 1979–80 के दौरान 6023 हैक्टेयर तथा 9380 पंक्ति किलोमीटर पर वन लगाने का काम किया जा रहा है, जिस पर 1.81 करोड़ रूपये व्यय होने की सम्भावना है इस के अतिरिक्त वन लगाने के कार्य डी0पी0ए0पी0 तथा मरूस्थलीय विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत भी किये जा रहे है। वर्श 1979–80 के दौरान इन कार्यक्रमों के अधीन 4310 हैक्टेयर तथा 2650 पंक्ति किलोमीटर भूमि पर वन लगाने का प्रस्ताव है, जिन पर 1.62 करोड़ रूपये खर्च होंगे। वन विभाग द्वारा कृशि वनखण्ड योजना के अधीन कृशि भूमि पर 57 लाख पौधे लगाये जायेंगे। वनों के विकास के

लिए वर्श 1980–81 में 1.80 करोड़ रूपये का योजना प्रावधान किया गया है। इस अवधि में 3300 हैक्टेयर तथा 5030 पंक्ति किलोमीटर भूमि पर वन लगाये जायेंगे। इसके अतिरिक्त डी0पी0ए0पी0 तथा मरूस्थलीय विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत 4200 हैक्टेयर व 3000 पंक्ति किलोमीटर भूमि पर वृक्ष लगायें जायेंगे। कृशि भूमि पर 43.5 लाख पौधे लगाये जाने का कार्यक्रम है। इन सभी योजनाओ द्वारा वर्श 1980–81 में 5600 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा।

मछली पालन

वर्श 1979–80 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अधीन गॉवों में जोहड़ों को गहरा करने का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर चलाया गया, जिससे कि ये जोहड़ मछली पालन के लिये उपयोगी हो गये है। अब सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों से यह अनुरोध किया जा रहा है कि इस प्रकार के जोहड़ मछली पालकों को पट्टें पर दिये जाये। इस से लगभग 300 व्यक्तियों को रोजगार मिलने की सम्भावना है। वर्श 1980–81 की वार्शिक योजना में 42 लाख रूपये का प्रावधान आठ विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिये किया गया है। हालांकि वर्श 1979–80 के दौरान सूखे के कारण राज्य में मछली उत्पादन में कमी हुई है, लेकिन यह आ ाा की जाती है कि यह उत्पादन वर्श 1979–80 के अन्त तक 2000 टन तथा वर्श 1980–81 के अंत तक 2250 टन पहुंच जायेगा। वर्श 1979–80 के दौरान विभाग द्वारा 27 एकड़

जलीय क्षेत्र में मछली के फार्म स्थापित किये गये है तथा आगामी वर्श 15 एकड़ और जलीय क्षेत्र में ऐसे फार्म स्थापित करने का लक्ष्य है। मछली बीज का उत्पादन वर्श 1979–80 के 20 लाख से बढ़ाकर वर्श 1980–81 के अंत तक 30 लाख करने का लक्ष्य है।

उद्योग

यद्यपि राज्य की अर्थ व्यवस्था कृशि पर निर्भर है, लेकिन इस में एक आव यक तथा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। पिछली पंचवर्शीय योजना के दौरान राज्य में बड़े उद्योग धंधों के साथ–साथ तथा लघु उद्योग क्षेत्र में भी काफी प्रगति हुई। सरकार की यह चेश्टा है कि गांव में कुटीर तथा लघु उद्योगों का अधिक से अधिक विकास हो, जिससे कि इस क्षेत्र की जनता को अधिक रोजगार साधन उपलब्ध हो सकें। इस उद्दे य से एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया गया है, जिस के अनुसार गांवों में लघु उद्योगों को कर्मिक तथा तकनीकी साहयता, कच्चे माल की पूर्ति तथा विपणन की सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार ने एक योजना आरम्भ की है, जिस के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सु ाक्षित युवकों को इस बात के लिये प्रेरित किया जा रहा है कि वे एक लाख रूपये तक के स्थिर पूंजी निवे ा के उद्योग स्थापित करें। वर्श 1979–80 के दौरान यह आ ाा की जाती है कि इस प्रकार की 1700 इकाईयां स्थापित की जायेंगी, जिससे कि 5200 व्यक्तियों को व्यवसाय मिलेगा।

राज्य में औद्योगिक गतिवधियों को जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना से बढ़ावा मिला है। यह इस दृश्टि से स्थापित किये जा रहे हैं कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में एक ऐसे केंद्र की तरह कार्य करें, जिससे कि गॉवों में उद्योग स्थापित करने की प्रवृति को बढ़ावा मिले। इन केंद्रों द्वारा गांवों में उद्यमियों को हर प्रकार की सुविधायें उपलब्ध की जायेंगी और यह आ ाा है कि वर्श 1979–80 के अंत तक यह सभी केंद्र काम करने लगेंगे।

जहां तक लघु उद्योग के क्षेत्र में की गई प्रगति का प्र न है, मैं इस सदन को सूचित करना चाहूंगा कि अप्रैल, 1979 दिसम्बर, 1979 तक 2439 लघु इाकईयां पंजीकृत हो गई है, जब कि वर्श 1978–79 के अंत तक 3200 इकाईयां पंजीकृत की जाएं। बड़े उद्योगों के विकास में भी काफी प्रगति हुई है और अप्रैल से दिसम्बर, 1979 के समय में 28 औद्योगिक अनुज्ञापत्र भारत सरकार द्वारा हरियाणा के उद्मियों को दिए गए है। 1978–83 परियोजना के दौरान विभिन्न उद्योगो को ''स्टेट ऐड टू इण्डस्ट्रीज एक्ट'' के अन्तर्गत 1 करोड़ रूपये की वितीय सहायता देने का लक्ष्य हैं। इस वर्श 15 लाख रूपए विभिन्न उद्योगों को इस अधिनियम के अन्तर्गत दिए जाएंगे। विद्युत की समस्या का देखते हुए उद्योग विभाग का यह प्रयत्न है कि उद्यमियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाए कि वे अपने प्रयोग के लिए बिजली उत्पादन स्वयं करे। इस उद्दे य से संचारण सैटों के लिए 25 औद्योगिक इकाईयों को 2.70 लाख रूपए आर्थिक सहायता के रूप में दिए गए।

उद्मियों को इस बात के प्रेरित किया जा रहा हैं कि वे पिछड़े हुए क्षेत्रों में औद्योगिक इकाईयां लगायें और इस उद्दे य से 36 औद्योगिक इकाईयों को 66.28 लाख रूपए आर्थिक सहायता के रूप में दिए गए। राज्य द्वारा राश्ट्र के लिर्यात कार्यक्रम में भी बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया जा रहा है। और यह आ ाा है कि वर्श 1979–80 के दौरान 85 करोड़ रूपए की वस्तुओं का निर्यात किया जायेगा।

ग्रामीण क्षेत्र में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा इन उद्योगों की स्थापना हेतु कई सुविधायें प्रदान की जा रही हैं, जैसे कि–

1. साध्य रिपोर्ट का मुफ्त उपलब्ध किया जाना,

2. 7 वर्श के लिए बिजली भाुल्क तथा 2 वर्श के लिए कच्चे माल पर बिक्री तथा क्रय कर से छूट देना;

3. ऐसी इकाईयों को 20 प्रति ात तक कीमत अधिमान दिया जाना तथा नियंत्रित कच्चे माल का 50 प्रति ात अतिरिक्त आवंटन किया जाना;

4. केंद्रीय बिक्री कर के बदले में 7 वर्श के लिए ब्याज रहित ऋण देना तथा बिजली के स्वयं उत्पादन करने पर 7 वर्श के लिए बिजली भाुल्क से छूट देना।

विभाग द्वारा वर्श 1979–80 के दौरान औद्योगिक तथा खनिज क्षेत्रों में 4.12 करोड़ रूपये खर्च करने की आ ाा है। राज्य सरकार अपनी औद्योगिक नीति को अधिक गति ाील और लचीली बनाने के लिए, कुछ नये आकर्शक कदम अपनाने पर भी विचार कर रही है। कुछ नए क्षेत्रों को औद्योगिक दृश्टि से पिछड़ा घोशित करते हुए उनमें उद्मियों को औद्योगिक इकाईयां लगाने के लिए प्रेरित करने के उद्दे य से, इन क्षेत्रों में भी नकद आर्थिक सहायता देने की योजना सरकार के सामने सक्रिय रूप से विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा उद्योगों के साम्य हिस्सा पूंजी में योगदान, जोकि पहले इस प्रकार के कुल हिस्सा पूंजी का 10 प्रति ात अथवा 10 लाख रूपये तक सीमित था, को बढ़ा कर 15 प्रति ात अथवा 20 लाख रूपए, जो भी कम रा ि ा हो, तक कर दिया गया है। साथ ही साथ उद्योग विभाग के मुख्यालय पर एक तालमेल कक्ष बनाया जा रहा हैं, जो कि उद्यमियों और औद्योगिक अभिकरणों के मध्य तालमेल रखने के उद्दे य से एक केद्र के रूप में कार्य करेगा।

(इस समय सभापतियों की सूची मैं से एक सदस्य, चौधरी प्रताप सिंह ठाकरान, पदासीन हुए।)

सड़कें

सड़कें यातायात का एक अति महत्वपूर्ण साधन हैं, क्योंकि ये राज्य के दूरदराज तथा अन्दरूनी ग्रामीण क्षेत्रों के साथ

जोड़ती है। हरियाणा द्वारा सड़के बनाने की गतिविधि में प्र ांसनीय प्रगति की गई है तथा 31 मार्च, 1979 तक राज्य में कुल 16550 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जा चुका था और पक्की सड़क से जुड़े हुये गांवों की संख्या 5700 थी। वर्तमान वितीय वर्श में 31 दिसम्बर, 1979 तक कुल 475 किलोमीटर सड़कें पक्की की गई तथा 250 गांवों को सड़कों से जोड़ा गया। यह आ ाा की जाती है कि वर्श 1979–80 के दौरान, लगभग 700 किलोमीटर सड़कें पक्की की जायेगी तथा 350 गांवों को सड़कों से जोड़ा जायेगा। यातायात की सुविधा के लिये यह आव यक है कि सड़कों पर पुलियां बनाई जायें। राज्य सरकार द्वारा 31 दिसम्बर, 1979 तक 1050 पुलियां पूर्ण की जा चुकी थी। इसके अतिरिक्त वर्तमान सड़कों के अनुरक्षण केक लिये भी काफी कार्य किया जा रहा है, तथा सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है। वर्श 1980–81 के लिए सड़कों के निर्माण तथा उनके अनुरक्षण के लिये 12.50 करोड़ रूपये का योजना प्रावधान है तथा यह आ ाा की जाती है कि लगभग 612 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण होगा तथा लगभग वे सारे गांव जिन की आबादी 1971 जनगणना के आधार पर मैदानी इलाकों में 250 से अधिक है तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 150 से अधिक है, उनको पक्की सड़कों से जोड़ दिया जायेगा। यातायात की सुविधा के लिए यह भी आव यक है कि उन महत्वपूर्ण सड़कों पर पुल बनाये जायें, जहां से नदियॉं या नाले बहते है। इस दि ाा में राज्य में प्र ांसनीय कार्य किया गया है और महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलों का निर्माण किया जा रहा

है। कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलों का ब्यौरा इस प्रकार है–पलवल के निकट युमना पर पुल, झज्जर–रिवाड़ी सड़क पर ड्रेन नं0 8 पर पुल, चन्दु–बावली सड़क पर ड्रेन नं0 8 पर पुल, पि चमी यमुना नहर पर सहारनपुर–कुरूक्षेत्र सड़क पर पुल, अम्बाला–हिसार सड़क पर मारकण्डा नदी पर पुल तथा कौ ाल्या नदी, टोका नदी व दोहान नदी पर पुल। इसके अतिरिक्त 1980–81 के दौरान उजीना मोड़ निकास नलिका पर तथा अम्बाला हिसार सड़क पर टांगरी नदी पर और भााहबाद में मारकण्डा नदी पर पुलों के निर्माण का कार्य पूरा हो जाने की संभावना है।

परिवहन

राज्य में सड़को की लम्बाई में वृद्धि के साथ–साथ यह अत्यन्त आव यक है कि जनता की सुविधा के लिये एक ऐसी सार्वजनिक यातायात प्रणाली होनी चाहिये, जोकि स्थान–स्थान से सुचारू रूप से आने–जाने में सहायता कर सके। हरियाणा परिवहन ने इस दि ाा में महत्वपूर्ण एवं प्र ांसनीय कार्य किया है तथा इनकी परिचालन गतिविधियों में काफी वृद्धि हुई हैं। बसों की संख्या 1979–80 के अन्त तक 2400 हो जाने की आ ाा है एवं आगामी वित वर्श 1980–81 के अन्त तक यह संख्या बढ़कर 2600 होने की आ ाा है। हरियाणा परिवहन की बसें प्रतिदिन 5. 53 लाख किलोमीटर सफर तय करती है तथा 6.35 लाख यात्री प्रतिदिन इनमें सफर करते है। वर्तमान वितीय वर्श 1979–80 के दौरान सोनीपत, यमुनानगर तथा फरीदाबाद मैं तीन नए बस डिपों

बनाये गये। यात्रियों को अधिक सुविधायें प्रदान करने के लिय जीन्द, फतेहाबाद, गोहाना, बहादुरगढ़, महम, फिरोजपुर झिरका, जगाधरी, डबवाली, पेहवा, पलवल तथा पुण्डरी में वर्श 1980–81 के दौरान, आधुनिक बस अड्डों का निर्माण किया जायेगा तथा इसके अतिरिक्त 100 बस कतार घर भी ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण यातायात केंद्रों पर स्थापित किये जायेंगे। सरकार ने गुड़गांव में एक बस ढ़ांचा निर्माण कर्म ाला स्थापित की है जहां पर कि संयुक्त प्रकार के बस ढ़ांचें का निर्माण किया जायेगा। इस बात के प्रयत्न किये जा रहे है कि इस कर्म ाला में हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जायें, जिससे हरियाणा परिवहने के लिये सस्ते बस ढ़ांचों का निर्माण हो सकें।

नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा हरियाणा के युवकों को उड़ान प्र ि ाक्षण देने की दि ाा में प्र ांसनीय कार्य किया जा रहा है और साथ ही साथ फसलों पर दवाई के हवाई छिड़काव का कार्य भी किया जा रहा है। पिंजौर में एक पक्के दौड़ पथ का निर्माण और वहां कर्म ाला की सुविधाओं का विस्तार किए जाने का लक्ष्य है। रोहतक में हवाई पटड़ी के लिये बहुत भीघ्र स्थान चुन लिया जायेगा और भिवानी में नियमित रूप से हवाई प्र ि ाक्षण देने का कार्यक्रम भारू किया जायेगा।

पर्यटन

हरियाणा पर्यटन का नाम दूर–दूर तक फैल गया है और सभी जगह इसको अपनी कु ालता तथा आधुनिक एवं मनमोहक पर्यटन स्थलों के लिये जाना जाता है। इसका प्रभाव राज्य के पर्यटक स्थलों पर आने वाल पर्यटकों पर पड़ा है। यहां पर धनी और छोटे बजट वाले दोनों ही पर्यटकों की देखभाल की सुविधायें है। राज्य में 30 पर्यटक स्थल है और 1979–80 के दौरान पर्यटन गतिविधियों पर 66 लाख रूपये खर्च होने का अनुमान है। हरियाणा राज्य में जो भी पर्यटक स्थल बनाये गये है वह कृत्रिम है और यहां पर अन्य राज्यों की तरह पहले ही से ऐसे स्थल नहीं थें जो कि पर्यटन की दृश्टि से महत्वपूर्ण हो। हाल ही में पानीपत, सोहना तथा उचाना के पर्यटक स्थलों में सुविधाओं का विस्तार किया गया है तथा अबूब भाहर में एक नया पर्यटक स्थल आरम्भ किया गया है। सिरसा में एक नये रेस्तरां और आया खेड़ा में एक छोटे पर्यटक स्थल का निर्माण पूरा हो चुका है और यह आ ाा की जाती है कि ये भीघ्र ही चालू कर दिये जायेंगे। इसके अतिरिक्त कई रेस्तरां के विस्तार का कार्य किया जा रहा है और पर्यटन सुविधाओं के विस्तार के लिए वर्श 1980–81 में 65 लाख रूपये के योजना का व्यय का प्रस्ताव है। सरकार पर्यटन गतिविधियों के विस्तार के लिये स्थानीय निकायों की सहायता लेने का विचार रखती है। हथनी कुण्ड और केले ार में जो सुविधायें उपलब्ध है, उनका आगे विस्तार किया जायेगा और दमदमा मैं एक नये स्थल का निर्माण किया जायेगा।

ि ाक्षा

बच्चों के संतुलित तथा समुचित विकास के लिये ि ाक्षा बहुत आव यक है और ि ाक्षा विभाग द्वारा स्कूल जाने वाले बच्चों को अधिक से अधिक सुविधायें प्रदान किये जाने के लिये एकाग्र एवं सतत प्रयत्न किये जा रहे है। प्रौढ़ ि ाक्षा का विस्तार किये जाने के प्रयत्न भी किये जा रहे है। स्कूलों में बच्चों की संख्या को देखने से पता चलता है कि वर्श 1979–80 में ि ाक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति हुई है एवं ि ाक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक ि ाक्षा के व्यापक विस्तार के लिये ठोस कदम उठाये गये है। 191 प्राथमिक स्कूलों का स्तर बढ़ा कर उच्च किया गया है। वर्श 1980–81 के दौरान, सरकार लड़कियों के लिए नयी प्राथमिक पाठ ाला खोलने पर अधिक बल देगी। इस बात के प्रयत्न किये जा रहे है कि अधिक से अधिक संख्या में बच्चे स्कूलों में जायें और उन्हे आकर्शित करने के लिये मध्याह भोज का एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिससे कि 3973 प्राथमिक पाठ ालाओं के 4.22 लाख बच्चे लाभान्वित होंगे। प्रौढ़ ि ाक्षा कार्यक्रम तथा अनौपचारिक ि ाक्षा कार्यक्रम में पर्याप्त प्रगति हुई है तथा 1979–80 के दौरान 3084 प्रौढ़ ि ाक्षा केंद्र कार्य कर रहे है, जिनमें कुल 69,108 प्रौढ़ों को ि ाक्षा दी जा रही है। अनौपचारिक ि ाक्षा केंद्रों की संख्या इस अवधि में 2596 थी और इस कार्यक्रम के अधीन 67,752 व्यक्तियों को ि ाक्षा प्रदान की जा रही है।

इस बात के प्रयत्न किये जा रहे है कि छात्रों को अधिक से अधिक भौक्षिक सुविधायें प्रदान की जायें। 7042 सरकारी स्कूलों में पुस्तक बैंक खोलें गये है और अधिक संख्या में छात्रवृतियां दी जा रही है। समाज के कमजोर वर्गों की छात्राओं को मुफ्त वर्दी वितरित की जाती है। इन सभी सुविधाओं के लिये वर्श 1980–81 में, 90.23 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। विभाग का यह भी प्रयत्न है कि स्कूलों में खेल मैदानों का विस्तार किया जाये। इस कार्य हेतु तीन लाख रूपये खर्च करने की व्यवस्था की गई है। विज्ञान ि ाक्षा को बढ़ावा दिये जाने के लिये वि ोश प्रयत्न किये जा रहे है तथा यह प्रयास किया जा रहा है कि स्कूलों में विज्ञान की ि ाक्षा के लिये अधिक से अधिक सुविधायें उपलब्ध की जायें। वर्श 1980–81 के दौरान ऐसे महाविद्यालयों को 9 लाख रूपये समान आधार पर अनुदान के रूप में दिये जाने का प्रस्ताव है जो कि अपने ि ाक्षा कार्यक्रमों में विज्ञान की ि ाक्षा को भाामिल करेंगे।

उच्च ि ाक्षा के विस्तार में गैर–सरकारी महाविद्यालय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। ऐसे महाविद्यालयों को उनकी वितीय कठिनाइयों से उबारने के लिये सरकार उनके घाटे का 75% तक उन्हें बतौर सहायता दे रही है। सरकार द्वारा 10 ऐसे महाविद्यालयों को अपने अधीन लिया गया है, जिनके वितीय कठिनाईयों के कारण बन्द होने की आ ांका थी।

वर्श 1979–80 में ि ाक्षा विभाग द्वारा स्कूलों की इमारतों की मरम्मत के लिये 45 लाख रूपये की व्यवस्था की गई थी और 1980–81 के दौरान इस कार्य के लिये 90 लाख रूपये की व्यवस्था की जा रही हैं। सरकार का यह प्रयत्न है कि ि ाक्षकों की सेवा परिस्थितियों में सुधार किया जाये। ऐसे जे0बी0टी0 ि ाक्षकों को जिन्होंने बी0ए0बी0एड0 पास कर ली है और जो प्राथमिक स्कूलों में पढ़ा रहे है, उन्हें मास्टर का वेतन दिया गया है और इससे लगभग 1050 ि ाक्षकों को लाभ होगा। माध्यमिक विद्यालयों के प्रमुख ि ाक्षकों को 50 रूपए प्रति मास का वि ोश वेतन दिया गया है। ऐसे सभी ि ाक्षकों की सेवाएं नियमित किए जाने का भी निर्णय किया गया है जो कि तदर्थ आधार पर दो साल से अधिक से कार्य कर रहे है। गैर–सरकारी स्कूलों को अनुदान रा ाी 25% से बढ़ाकर 75% तक की जा रही है। उच्च साहित्यिक मापदण्ड स्थापित करने के लिए तथा राज्य में सांस्कृतिक एवं साहित्यिक गतिविधियों का बढ़ावा देने तथा अनुसंधान का कार्यक्रम चलाने आदि के उद्दे य से 25 जुलाई, 1979 को हरियाणा साहित्य एकाडमी का गठन किया गया। भाशा के विकास का कार्य भी इसी एकाडमी को सौंपा गया है।

हरियाणा में तकनीकी ि ाक्षा के विस्तार के भी प्रयत्न किये जा रहे है। इस कार्य के लिये 1979–80 के दौरान 31 लाख रूपये का और 1980–81 के दौरान 35 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। फरीदाबाद में तकनीकी सलाहकार केंद्र

के विस्तार का प्रस्ताव है। विभिन्न सरकारी बहुतकनीकी महाविद्यालयों में कर्म ाला तथा प्रयोग ाला की सुविधाओं के विस्तार एवं आधुनिकीकरण के प्रयत्न किये जा रहे है, जिस पर वर्श 1979–80 के दौरान 5 लाख रूपये और इतनी रा ाी अगले वर्श खर्च किये जाने की आ ा है।

युवको को व्यावसायिक प्र ि ाक्षण देने के लिये औद्योगिक प्र ि ाक्षण संस्थानों द्वारा तकनीकी और गैर तकनीकी कार्यों में ि ाक्षा दी जा रही है। इस समय इन संस्थानों में 967 विद्यार्थी ि ाक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस ि ाक्षा का मुख्य उद्दे य यह है कि उद्योग धंधों के विभिन्न कार्यों के लिए निपुण कार्मिकों की पूर्ति बिना रूकावट हो सके। स्त्रियों को घरेलू कार्यों के लिए वैज्ञानिक ढ़ंग से ि ाक्षा देने के लिए कुछ निजी संस्थाओं को मान्यता दी गई है जोकि गृह विज्ञान, जे0बी0टी0 तथा कला अध्यापकों के प्र ि ाक्षण के लिये विभिन्न पाठ्यक्रम चला रही है। इस वर्श ऐसे संस्थानों की संख्या 102 है। 1979–80 के दौरान एक नया औद्योगिक प्र ि ाक्षण संस्थान और लड़कियों के लिए सरकारी औद्योगिक प्र ि ाक्षण स्कूल क्रम ाः महम तथा सम्भालखा में स्थापित किए गये है। इस विभाग के लिये 1979–80 की वार्शिक योजना में 27 लाख रूपये एवं 1980–81 में 26 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है।

स्वास्थ्य

हरियाणा में चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सुविधाओं का बहुत विस्तार किया गया है और अब का यह प्रयास है कि जो सुविधाएं दी जा चुकी है उनको और सुदृढ़ किया जाए तथा निरोध, रोगना ाक एवं उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं को गांवों और राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों तक पहुंचाया जाये। वर्श 1979–80 के अन्त तक राज्य में सभी जिले बहु–उद्दे ाीय कार्यकर्ता योजना के अधीन आ जायेंगे और इस योजना के अन्तर्गत 2500 व्यक्तियों को प्रि ाक्षित किया जायेगा। वर्श 1979–80 के दौरान 1624 स्वयं सेवकों को ''सामाजिक स्वास्थ्य स्वयंसेवी योजना'' के अन्तर्गत प्रि ाक्षण दिया जायेगा। इस के आरम्भ होने से अब तक 4516 व्यक्तियों को प्रि ाक्षित किया गया है और उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक उपचार सुविधा का प्रचार करने के लिये भेजा जा चुका है। इस योजना को रोहतक, फरीदाबाद, गुड़गांव व हिसार जिले तथा भोश जिलों के एक–एक विकास खंड में कार्यान्वित किया जा चुका है। गर्भवती माताओं और छोटे बच्चों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिये तथा परिवार कल्याण चलाने कि लिये वर्श 1979 तक 4176 दाईयों को प्रि ाक्षण दिया जा चुका है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा दी गई सुविधाओं का और विस्तार किया जा रहा है। 1979–80 में चिकित्सा व स्वास्थ्य के लिये 2.28 करोड़ रूपये रखा गया है। इस वर्श रिवाड़ी, भिवानी तथा टोहाना के अस्पतालों का कार्य पूरा किया गया।

स्वास्थ्य विभाग का यह प्रयत्न है कि राज्य में मलेरिया को बढ़ने से रोका जाये और इस बीमारी का प्रकोप 1979–80 के दौरान पिछले वर्श की अपेक्षा 38 प्रति ात कम हुआ है। 1979–80 के दौरान 99 प्रति ात मलेरिया के केसों का मौलिक उपचार किया गया। मलेरिया रोधक गतिविधियों के लिए 1979–80 के दोरान 1.89 करोड़ रूपये एवं 1980–81 के दौरान 3.80 करोड़ रूपये खर्च किये जाने का अनुमान है। राज्य में राश्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम तेजी से चलाया जा रहा है, जिससे कि मार्च, 1983 तक जन्म दर 30 प्रति हजार तक लाई जा सके। इस कार्यक्रम के अधीन लोगों को ि ाक्षा देने तथा प्रेरित करने पर ज्यादा बल दिया जा रहा है, जिससे कि अधिकतम व्यक्ति इस कार्यक्रम को अपनायें। इस कार्य के लिये कई ि ाक्षा तथा विस्तार कार्यक्रम भ्ाुरू किये गये है और ग्रामीण क्षेत्रों में अभिविन्यास कैम्प लगाये जा रहे है। दिसम्बर, 1979 तक राज्य में 17000 नसबन्दी आपरे ान किये जा चुके थै जबकि गत वर्श इसी दौरान कुल 7827 नसबन्दी आपरे ान किये गये थे। राज्य की वर्श 1979–80 की वार्शिक योजना में दे ाी दवाईयों द्वारा चिकित्सा प्रणाली एवं होम्योपैथी को और सुदृढ़ करने के लिए कुल 38 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। 1980–81 के दौरान आयुर्वैदिक चिकित्सा के लिये 35 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। आगामी वितीय वर्श में 20 नये आयुर्वेदिक औशधालय और 5 नये होम्योपैथिक औशधालय खोले जायेंगे।

रोहतक चिकित्सा महाविद्यालय का योजना प्रावधान 1979–80 के दौरान 1.80 करोड़ रूपये है और 1980–81 के लिये 1.20 करोड़ रूपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इस विद्यालय में 1979 के दौरान 3,84,573 मरीजों ने बाह्य तथा 31,342 मरीजों ने अन्तरंग चिकित्सा प्राप्त की।

लोक स्वास्थ्य एवं जल सप्लाई

राज्य सरकार सभी ग्रामीण तथा भाहरी क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य सुविधायें तथा पेय जल सुविधायें प्रदान करने के लिये वचनबद्ध है। 31 मार्च 1979 तक राश्ट्रीय पेयजल संभरण तथा स्वच्छता कार्यक्रम के अधीन 1176 गांवों को पेयजल की सुविधा दी जा चुकी थी। वि व बैंक की सहायता से ग्रामीण पेयजन आपूर्ति का एक कार्यक्रम वर्श 1978–79 से राज्य में चालू किया गया था तथा वर्तमान वितीय वर्श में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना के लिए 8.50 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इस रा ाी में वि व बैंक द्वारा नियोजित कार्यक्रमों के लिए 2.50 करोड़ रूपये भी भाामिल है। वर्तमान वितीय वर्श के दौरान 31 दिसम्बर 79 तक 92 गांवों को पेयजल आपूर्ति की सुविधा दी गई। यह आ ाा की जाती है कि वितीय वर्श के अन्त तक 190 गांवों को यह सुविधा दी जा सकेगी। 1980–81 की वार्शिक योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिये 7 करोड़ रूपये का प्रावधान है, जिस में कि वि व बैंक परियोजना पर होने वाला खर्च भी भाामिल है। 1980–81 के दौरान, 195 गांवों को पेयजल

की सुविधा प्रदान की जाएगी। 31 मार्च, 1979 तक 67 नगरों में आंि ाक पानी की आपूर्ति की जा चुकी थी और 29 नगरों में मल निकास की व्यवस्था भी की जा चुकी थी। 1979–80 की वार्शिक योजना में भाहरी क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति तथा मल निकास योजनाओं के लिये 2.81 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

आवास तथा भाहरी विकास

भाहरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों का समन्वित तथा नियमित विकास किया जाना बहुत आव यक है, अतः इस उद्दे य से भाहरी तथा ग्रामीण योजना विभाग, भूमि के समुचित उपयोग एवं भाहरी विकास के कार्य में सलंग्न है। भाहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकाय जनता को नागरिक सुविधायें प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। वि ोश तौर से ये सुविधाये ऐसी बस्तियों के लिए अत्यन्त आव यक हैं, जहो कि समाज का गरीब वर्ग रहता है। वर्श 1979–80 के दौरान, वार्शिक योजना के अन्तर्गत, विभिन्न नगरपालिकाओं को पिछड़ी बस्तियों के वातावरण में सुधार करने के लिए 50 लाख रूपए बतौर अनुदान देने का उपबन्ध किया गया है। 70 लाख रूपये का प्रावधान वार्शिक योजना 1980–81 में भी किया गया है। कुरूक्षेत्र विकास बोर्ड के लिए वर्श 1979–80 की योजना में 71 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है।

रोजगार

सरकार का यह कर्तव्य है कि वह सु ाक्षित युवको को रोजगार दिलाने के लिये हर संभव प्रयत्न करे तथा ऐसी सुविधाएं प्रदान की जायें, जिससे कि उन्हें व्यवसाय प्राप्त करने में सहायता मिले। इस उद्दे य से स्थापित किये गये रोजगार कार्यालयों की कुल संख्या वर्श 1979 के अंत तक 44 थी। वर्श 1979–80 के दौरान, मुख्यालय पर अनुसूचित जातियों के लिये एक वि ोश रोजगार कार्यालय स्थापित किया गया है तथा पांच ग्रामीण रोजगार कार्यालय–बल्लभगढ़, नारायणगढ़, टोहाना, डबवाली व फतेहाबाद में स्थापित किये गये है। इसके अतिरिक्त महर्शि दयानन्द वि ववि्यालय, रोहतक में एक वि ववि्यालय सूचना एवं मार्गद र्शन ब्यूरो स्थापित किया गया है। झज्जर स्थित ग्रामीण रोजगार कार्यालय का स्तर बढ़ाकर भाहरी रोजगार कार्यालय कर दिया गया है। रोजगार कार्यालयों द्वारा दिये गये आंकड़ों से यह सिद्ध होता है कि मार्च, 1979 तक अर्थ व्यवस्था के संगठित क्षेत्र में रोजगार वृद्धि की दर 5.9 प्रति ात रही। इस संगठित क्षेत्र मैं दिनांक 30.06.79 तक 4.68 लाख व्यक्ति काम में लगे हुये थे, जबकि इसके पिछले वर्श इस समय तक 4.43 लाख व्यक्ति काम में लगे हुये थे, जिससे कि 5.5 प्रति ात की वृद्धि का पता चलता है। नवम्बर 1979 तक विभिन्न रोजगार कार्यालयों द्वारा 2,07,343 व्यक्तियों के नाम पंजीकृत किये गये थे एवं 33,991 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया था। इस प्रकार कुल पंजीकृत व्यक्तियों में से जिन व्यक्तियों को व्यवसाय दिलाया गया उनका प्रति ात 16.4 बैठता है, जब कि अखिल भारतीय

औसत 7.9 प्रति ात है। जनवरी, 1979 से नवम्बर, 1979 के समय में रोजगार कार्यालयों द्वारा 5166 अनुसूचित जातियों, 2098 भूतपूर्व सैनिकों तथा 520 विकलांगों को कार्य दिलाया गया। इसी अवधी मैं विभाग द्वारा बेरोजगार युवकों के 1049 प्रार्थना पत्र विभिन्न राश्ट्रीयकृत बैंकों को भेजे गये, जिस मैं से 210 प्रार्थियों को बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किय गये है और उन्होंने अपना व्यवसाय आरम्भ कर दिया है। गुहला–चीका में एक ग्रामीण रोजगार कार्यालय तथा जिला रोजगार कार्यालय रिवाड़ी में एक रोजगार विपणन सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त तिगांव, चिकलाना, रादौर, बावल, नग्गल तथा पुनहाना मैं पंजीकरण की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है।

श्रम कल्याण

वर्श 1979–80 के दौरान कई औद्योगिक इकाईयों व संस्थानों में हड़तालों तथा तालाबन्दियौं के कारण राज्य में औद्योगिक स्थिति तथा औद्योगिक संबंध, वि ोश रूप से फरीदाबाद में अ ाान्त रहे। परन्तु अब पिछले कुछ मास में स्थिति पर पूर्ण नियंत्रण है तथा इस में काफी सुधार हुआ है। हाल ही मैं 36 अनुसूचित व्यवसायों में मजदूरी की न्यूनतम दर पर पुनर्विचार किया गया है, जिस के फलस्वरूप अकु ाल कार्मिकों की न्यूनतम मजदूरी की दरें जो 140 से 220 रूपये तक थी, में वृद्धि हो कर 240 रूपये न्यूनतम हो गई है। सरकार के इस निर्णय से श्रमिक वर्ग को काफी राहत मिली है। अधिकतर व्यवसायों में इन

दरों को उपभोक्ता मूल्य क्रमांकों के साथ संयुक्त कर दिया गया है। इस उद्दे य से कि कीमतों में वृद्धि के साथ कार्मिकों को राहत मिल सके, निश्प्रभावण की दर एक रूपया प्रति बिंदु से बढ़ा कर डेढ़ रूपया प्रति बिंदु कर दी गई है।

अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण

हरियाणा सरकार अनुसूचित जातियों, पिछड़ी जातियों तथा विमुक्त जातियों के उत्थान को परम अग्रता प्रदान करती है और इस उद्दे य से राज्य सरकार द्वारा कई स्कीमैं चलाई जा रही है। वर्श 1979–80 की वार्शिक योजना मैं इस कार्य के लिए 66 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। इस वर्ग में ि ाक्षा के प्रसार के लिए कई कदम उठाए जा रहे है, जिन में छात्रों को पढ़ाई में वि ोश सहायता, पुस्तक अनुदान देना आदि भाामिल है। मैट्रीक से पहले स्तर के इस वर्ग के छात्रों की छात्रवृति की दरें आठ रूपए प्रति मास से बढ़ा कर 16/- रूपये प्रति मास कर दी गई है। इसी प्रकार मैट्रीक से बाद के स्तर में 15/- रूपये से 35/- रूपये प्रति मास तक की दरें बढ़ा कर 30 से 70 रूपए प्रति मास तक कर दी गई है। सरकार ने हरिजन चौपाल बनाने के कार्य पर 96 लाख रूपये खर्च करने का फैसला किया है जिससे कि हरिजनों के पास अपने सामाजिक उत्सव आदि करने के लिए एक स्थान हो। वर्श 1980–81 के आयोजन भिन्न बजट में 1.54 करोड़ रूपयों का प्रावधान इस वर्ग की भौक्षणिक व आर्थिक उत्थान की स्कीमों के लिए किया गया है। वर्श 1980–81 के

दौरान अनुसूचित जातियों व पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए केंद्र द्वारा आयोजित स्कीमों के अन्तर्गत 54.35 लाख रूपए खर्च करने का अनुमान है। हरिजन कल्याण निगम द्वारा इस वर्ग को अपने काम धंधे भुरू करने के लिए सहायता दी जा रही है। बैंको द्वारा हरिजनों को दिए जा रहे ऋणों के लिए निगम हरिजनों की तरफ से जामिन बनेगा। निगम की सलाह पर राश्ट्रीयकृत बैंक, हरिजनों को वि ाश्ट ब्याज की दरौं पर ऋण प्रदान करेंगे।

समाज कल्याण

कल्याणकारी राज्य का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य समाज कल्याण है, तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा ऐसी कई स्कीमें बनाई गई है जो कि राज्या द्वारा इस कर्तव्य को निभाने में सहायता देती है। वर्श 1980–81 की वार्शिक योजना में समाज कल्याण क्षेत्र के लिए 40 लाख रूपये का तथा पोशण क्षेत्र की स्कीमौं के लिए 60 लाख रूपए का प्रावधान है। योजना, योजना भिन्न तथा केंद्रीय आयोजित स्कीमों के अन्तर्गत 1980–81 के दौरान कुल बजट प्रावधान 2.85 करोड़ रूपये का है। समाज कल्याण विभाग द्वारा ि ा ु कल्याण की योजनाएं भी चलाई जा रही है, एवं वर्श 1980–81 के दौरान केद्रीय तथा राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत एक–एक आई0सी0डी0एस0 परियोजना भुरू की जाएगी। विभाग द्वारा बेसहारा औरतों व विधवाओं की देखभाल के प्रयत्न किए जा रहे है। तकरीबन 8700 महिलाओं व पुरूशों को 50/- स्पये प्रति मास प्रति व्यक्ति की दर से पैं ान दी जा रही है।

वर्श 1980—81 के दौरान इस स्कीम के अन्तर्गत दस हजार व्यक्तियों को सहायता दी जाएगी, जिस पर 60 लाख रूपए खर्च होने की आ ाा है।

राज्य में एक स्कूल व ि ा ु कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई हैं। वर्श 1979 सारे राज्य में ''अन्तर्राश्ट्रीय बाल वर्श'' के रूप में मनाया गया और इस वर्श के दौरान राज्य में बच्चों की स्थिति में सुधार करने के लिए वि ोश प्रयत्न किये गये। इन प्रयत्नों को दि ाा देने के उद्दे य से एक विस्तृत योजना बनाई गई है और 1980—81 की वार्शिक योजना में इसके लिये 20 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है।

लोक सम्पर्क

लोक सम्पर्क विभाग सरकार का सन्दे ा लोगों तक पहुंचाने में तथा, जनता की भलाई के लिए सरकार द्वारा किए गए, कार्य का प्रचार करने के काम में सलंग्न है। इस कार्य के लिए लोक संचार की तकनीक में निपुणता की आव यकता है। ''भारत अन्तर्राश्ट्रीय व्यापार मेला 1979'' तथा ''राश्ट्रीय उद्योग मेला 1980'' के दौरान हरियाणा राज्य द्वारा लगाए गए मण्डप में बड़ी मात्रा में द ार्कों ने राज्य द्वारा की गई चहुंमुखी प्रगति की एक झांकी देखी। अब विभाग नए क्षेत्रों में कार्य करने के लिए प्रयत्न ील है जिसमें कि ध्वनि एवं प्रका ा कार्यकम भी भाामिल

है, जिसे कि कुरूक्षेत्र के सूर्य ग्रहण मेले के दौरान भ्ाुरू किया गया।

खाद्य एवं पूर्ति

सरकार आम नागरिकों को आव यक वस्तुओं की आपूर्ति करने के अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक है तथा इस कार्य को करने के लिए 4097 सस्ते मूल्य की दुकानें चलाई जा रही है। अन्य जरूरी वस्तुओं के वितरण पर भी सरकार नियन्त्रण रखे हुए है। 1979—80 के दौरान सरकार ने केंद्रीय पूल के लिए खाद्यान उपार्जित किए और गत दिसम्बर के अन्त तक 13.89 लाख टन गेहूं तथा 1.79 लाख टन चावल केंद्रीय भण्डार को दिया गया। इन दोनों खाद्यानों का, उस तिथि तक, 15.68 लाख टन उपार्जन किया गया, जबकि गत वर्श इसी अवधि में 12.28 लाख टन उपार्जित किया गया था।

अल्प बचतें

अल्प बचत योजना राश्ट्र की तथा राज्य की अर्थ व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तथा इसके द्वारा राज्य की योजना को कार्यान्वित करने के लिए साधन जुटान में मदद मिलती है। इसके द्वारा लोगों में धन बचाने की प्रवृति को बढ़ावा मिलता है। वर्श 1978—79 के दौरान अल्प बचत योजना के द्वारा 25 करोड़ रूपए का संग्रहण किया गया। छात्रों में संचायिका योजना बड़ी लोकप्रिय है और 1461 ि ाक्षा संस्थाऔं में

5.50 लाख छात्र इसके सदस्य है। इस स्कीम के अन्तर्गत अप्रैल 1979 से दिसम्बर 1979 तक 39.63 लाख रूपए एकत्र किए गए। वेतन चिट्ठा बचत योजना में हरियाणा की कार्यरत जनसंख्या का 60 प्रति ात हिस्सा भाग लेता है। इस स्कीम के अन्तर्गत दिसम्बर 1979 तक 3.45 करोड़ रूपए एकत्र किए गए। हरियाणा में 315 महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत यौजना भााखाएं हैं जिन्होंने दिसम्बर 1979 तक 45 लाख रूपए जमा किए।

कर वसूली एवं व्यापारियों की समस्यायें

राज्य सरकार द्वारा एकत्र किये गये करों को जनता की भलाई के लिए भुरू की गई विभिन्न स्कीमों पर खर्च किया जाता है। पिछले दो वर्शों मैं सरकार द्वारा एकत्र किए गए करों की मात्रा में प्र ांसनीय वृद्धि हुई है। 1978–79 के दौरान आबकारी व कराधान विभाग द्वारा 131 करोड़ रूपये करों के रूप में एकत्र किये गये जोकि 1977–78 में एकत्रित 119.64 करोड़ के मुकाबले में कहीं अधिक हैं। 1979–80 के दौरान इस उर्ध्वगामी प्रगति को बनाये रखा गया है और विभाग करों के जरिए 153 करोड़ रूपए एकत्र करने की आ ाा रखता है। अर्थ व्यवस्था मैं दबाव होने के बावजूद अप्रैल 1979 से दिसम्बर 1979 तक एकत्र किए गए कर सन् 78 में इस अवधि में एकत्र किए गए करों की तुलना में 25 प्रति ात अधिक थे। 1980–81 मैं विभाग की मेहनत तथा करदाताओं के सहयोग से 167.56 करोड़ रूपए एकत्र करने की आ ाा है। राज्य सरकार द्वारा कर लगाए जाने की प्रणाली में

सुधार लाने की दृश्टि से एक कर ढांचा पुनर्वलोकन समिति की स्थापना की गई है तथा इस समिति द्वारा सरकार से कई सिफारि ें की गई थी। इन सिफारि ाों में से कुछ को सरकार द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया है। इस वर्श करों में कई किस्म की रियायतें दी गई जिन में से कुछ निम्न प्रकार हैः–

(1) घोशित वस्तुओं के व्यापारियों के लिए कर लगने योग्य मात्रा एक लाख रूपए नियत की गई है जोकि अब तक भून्य थी।

(2) जिन व्यापारियों की कय–विकय की गतिविधि 2 लाख रूपए वार्शिक तक होगी उनको अपना कर स्वयं आंकने की छूट दी गई है और उनको कर निर्धारण अधिकारी के कार्यालय में नहीं बुलाया जाएगा।

(3) सभी पंजीकृत विकेता व्यापारियों को यह रियायत दे दी है कि वे एस0 टी0 फार्म 13 तथा 14 के स्थान पर नकदी रसीद व बिकी पर्ची जिसमें वस्तुओं की सूची हो केता व्यापारी को दे सकता है। इसी प्रकार एस0 टी0 15 के बारे में विकेता व्यापारी को किसी पंजीकृत व्यापारी को वस्तुएं बेचते समय इस बात की छूट होगी कि वह कटौती का दावा करने के लिए खरीद की वस्तुओं की सूची या उद्घोशणा जोकि खरीदकर्ता व्यापारी द्वारा प्रमाणित हो दे सकता है। इससे व्यापारियों को काफी परे ाानी से बचत मिलेगी।

(4) नकदी रसीद जारी करने के लिए आव यक सीमा 10 रूपए से बढ़ा कर 25 रूपए कर दी गई है।

(5) देसी घी बनाने में जहां बिजली की भाक्ति का प्रयोग नहीं होता उसे बिक्री कर से मुक्त कर दिया गया है।

(6) प्लास्टिक से बने जूते तथा अन्य वस्तुएं जो प्लास्टिक, बैकलाईट तथा सैल्यूलाईड से बनी होंगी एवं 10 रूपये से अधिक की दर कीमत की नहीं होगी उन पर बिक्री कर दर 10 प्रति ात से घटाकर 7 प्रति ात कर दी गई है जिससे कि समाज के गरीब वर्ग को राहत मिलेगी।

(7) सभी किस्म् के धागों पर बिक्री कर 7 प्रति ात से घटा कर 2 प्रति ात कर दिया गया है जिससे कि इस वस्तु पर लगने वाले बिक्री कर में समानता लाई जा सके।

इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा कई अन्य कर रियायतें दी गई है तथा हरियाण कराधान (सड़क से लाई जाने वाली कुछ वस्तुएं) अधिनियम, 1979 वापिस ले लिया गया है। हलवाईयों को बिक्री कर से 9 अगस्त, 1979 को जारी की गई अधिसूचना द्वारा मुक्ति दे दी गई। यह भी फैसला किया गया कि सम्पति कर न लगाया जाए। भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 के अन्तर्गत लगाई जाने वाली पंजीकरण भाुल्क की अधिकतम सीमा 17 अप्रैल, 1979 से 500 रूपए नियत की दी गई है चाहे पंजीकरण कराए जाने वाले दस्तावेजों की विचारणीय रा ाी कितनी ही हो।

अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों द्वारा हरियाणा हरिजन कल्याण निगम से ऋण प्राप्त करने के लिए 15 विभिन्न व्यवसायों में जो बन्धक पत्र निगम के पक्ष में लिखा जाता है उस पर लिए जाने वाले मुद्रांक भाुल्क को माफ कर दिया गया है, यदि ऋण की मात्रा 10 हजार रूपए प्रति वर्श से अधिक न हो। यह सुविधा 26 सितम्बर, 1979 से दी जा रही है। 1978–79 की बाढ़ में बरबाद हुए मकानों की मरम्मत व निर्माण के लिए बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों ने बैंकों से जो ऋण 1979–80 के दौरान लिए है उस ऋण पर बन्धक पत्र देने पर जो मुद्रांक भाुल्क या पंजीकरण फीस लगनी चाहिए वह माफ कर दी गयी है।

सरकारी कर्मचारी

सरकारी कर्मचारियों के वेतनमानों के सं ाोधन का प्र न काफी समय से राज्य सरकार के विचाराधीन था और इस उद्दे य से जनवरी, 1979 मैं एक वेतन आयोग गठित किया गया था। आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और यह रिपोर्ट मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वरिश्ठ अधिकारियों की एक समिति द्वारा जांची जा रही है। इस समिति की सिफारि ा पर सरकार ने सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों, जिसमें पुलिस कर्मचारी भी भाामिल है, के वेतनमानों मैं सं ाोधन किया है। अन्य विभागों के वेतनमानों में भी सं ाोधन किया जा रहा है। सं ाोधित वेतन मान एक अप्रैल, 1979 से प्रभावी होंगे तथा नकद भुगतान 1 जनवरी, 1980 से किया जायेगा। एक अप्रैल 1979 से

31 दिसम्बर, 1979 तक के बकाया का भुगतान कर्मचारियों की सामान्य भविश्य निधि में जमा कर दिया जाएगा। सरकार द्वारा जो वेतन नियतन फार्मूला अपनाया गया है उससे कर्मचारियों को कम से कम 30/- रूपए प्रति मास से लेकर अधिक से अधिक 75/- रूपए प्रति मास तक का लाभ प्राप्त होगा। राज्य सरकार द्वारा अब तक घोशित सं ाोधित वेतनमानों द्वारा कुल कर्मचारियों, जिनकी संख्या 1.8 लाख है के 70 प्रति ात को लाभ पहुंचा है।

सरकार ने यात्रा भत्ता, दैनिक भता तथा नगर क्षतिपूर्ति भत्तें की दरें भी सं ाोधित कर दी है। चंडीगढ़ के अतिरिक्त नगर क्षतिपूर्ति भत्ता ऐसे नगरौं मैं भी दिया जाएगा जिनकी जनसंख्या एक लाख से अधिक है तथा वे 30 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र मैं फैलें है, जैसे कि अम्बाला भाहर व कैंट, यमुनानगर–जगाधरी, फरीदाबाद तथा रोहतक आदि। अन्य विभागों के व्यक्तिगत वेतनमान तथा अन्य सहबद्ध मसले जैसे कि मकान किराया भत्ता, पैं ान के लाभ, तथा छुट्टी यात्रा रियायत आदि, राज्य सरकार के विचाराधीन है। वेतन आयोग की विभिन्न सिफारि ाों को कार्यान्वित किए जाने पर राज्य सरकार को लगभग 15 करोड़ रूपए का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ेगा।

वर्श 1979–80 के दौरान सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को अन्य कई सुविधाएं दी गई जोकि सरकार से एक आद र्ा नियुक्तिकर्ता के तौर पर आपेक्षित थीं। कर्मचारियों तथा पैं ानरों को निम्नलिखित रियायतें दी गईः–

(1) केंद्रीय सरकार के पैटर्न पर अतिरिक्त महंगाई भत्ते की दो किस्तें कम ा। प्रथम दिसम्बर, 1978 तथा प्रथम अगस्त, 1979 से दी गई, जिसके फलस्वरूप सरकार पर 3.16 करोड़ रूपये का वितीय बोझ 1979–80 मैं पड़ा

(2) राज्य सरकार के अधीन तथा अन्य स्थानीय निकायों आदि में काम कर रहे सफाई कर्मचारियों को प्रथम जुलाई 1979 से 50 रूपए प्रति मास वि ोश भत्ता दिया गया।

(3) हरियाणा सरकार के पैं ानरों को तदर्थ सहायता की आठवीं किस्त प्रथम दिसम्बर, 1978 से दी गई जो कि उनकी पैं ान के 5 प्रति ात की दर से थी तथा कम से कम 5 रूपए व अधिकतम 25 रूपए तक की सहायता दी गई। यह सुविधा पारिवारिक पैं ान तथा असाधारण पैं ान पाने वालों को भी दी गई। पारिवारिक पैं ान की भार्तों में भी उदार नीति अपनाई गई है।

(4) सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर अब उसका परिवार एक वर्श की योग्यतापूरक सेवा के आधार पर पारिवारिक पैं ान पाने का हकदार बन जाता है। पहले यह सेवा 5 वर्श की होनी जरूरी थी।

उपरोक्त से यह स्पश्ट है कि सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों की सुविधाओं के लिए हर सम्भव प्रयत्न किए जा रहे है।

राज्य के इंजीनियरिंग विभागों के कार्यप्रभारिक कर्मचारी अब तक पंजाब सिविल सेवा नियमौं के अन्तर्गत नहीं आते थें और उनको न्यूनतम पारिश्रमिक दर या सामान्य दरों की सूची के अन्तर्गत पारिश्रमिक दिया जाता था। इस कारण इन कर्मचारियों को वह पूरी सुविधाएं या रियायतें उपलब्ध नहीं थी जोकि आम सरकारी कर्मचारी को उपलब्ध है। अब सरकार ने कार्यप्रभारिक कर्मचारियों के ऐसे सभी पदों को नियमित कर दिया है जिन पर 31 दिसम्बर 1978 तक कोई कर्मचारी पांच वर्श की लगातार सेवा पूरी कर चुका हो। ऐसा होने से नियमित हुए इन कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता, पैं ान तथा उपदान एवं अन्य वह सुविधाएं उपलब्ध होंगी जोकि अन्य सरकारी कर्मचारियों का उपलब्ध हैं

भूमि सुधार

राज्य में भूमि सुधार को भली भांति लागू करने तथा किसान भू–स्वामित्व को बढ़ावा देने के उद्दे य से भूमि सीमा कानून के अन्तर्गत फालतू घोशित हुई भूमि को पात्र व्यक्तियों में बांटा जा रहा है। 1,17,391 एकड़ फालतू भूमि जोकि पात्र व्यक्तियों को आबंटित करने के लिए उपलब्ध थी, उसमें से 31 जुलाई, 1979 तक 1,07,169 एकड़ जमीन 32,327 व्यक्तियों को उपलब्ध की जा चुकी है। अप्रैल 1979 से दिसम्बर 1979 तक 275 व्यक्तियों को युद्ध जागीर प्रदान की गई तथा रबी 1980 से इस युद्ध जागीर की सालाना कीमत 150 रूपए प्रति वर्श से बढ़ा कर 300 रूपए प्रति वर्श कर दी गई है। वर्श 1979–80 के दौरान एक

लाख एकड़ भूमि की चकबंदी की जाएगी तथा इतने ही क्षेत्र में 1980–81 में कार्य किया जाएगा।

प्राकृतिक आपदाएं

मार्च–अप्रैल, 1979 के दौरान राज्य में बहुत तीव्र ओलावृश्टि हुइ, जिससे कि खड़ी रबी की फसल को भारी नुकसान हुआ। इस भयानक विपति के कारण हुए नुकसान को देखते हुए तथा कृशकों की समस्याओं को कम करने की दृश्टि से सरकार ने निर्मूल्य सहायता बांटी, जोकि फसल के नुकसान के आधार पर 100 रूपए से 300 रूपए प्रति एकड़ तक थी। सरकार ने लोगों को राहत पहुंचाने के लिए 6.62 करोड़ रूपए ओला पीड़ितों में बांटे। इसके अतिरिक्त भूमि कर तथा आबियाना मैं वि ोश मुआफी दी गई। जिन क्षेत्रों में नुकसान 50 प्रति ात से अधिक था वहां 6 महीने के लिए भूमि राजस्व, आबियाना, तकावी तथा अन्य सभी प्रकार के कर्जों की वसूली स्थगित कर दी गई। फसल को हुए नुकसान के आधार पर तकावी ऋण 3 प्रति ात की उदार ब्याज की दर पर बांटा गया। जिन उपभोक्ताओं का नुकसान 50 प्रति ात से अधिक था, उनसे बिजली के बकाया की वसूली 6 महीने के लिए स्थगित कर दी गई।

ओलावृश्टि के इस प्रकोप के बाद हरियाणा के सिानों को एक बार फिर एक गम्भीर प्राकृतिक विपति का सामना करना पड़ा, जबकि राज्य के बड़े भाग में खरीफ 1979 के दौरान वर्शा

नहीं हुई और राज्य का अधिकां ा हिस्सा सूखे की चपेट में आ गया। अधिकतर जिलों में खरीफ की फसल को भारी नुकसान हुआ। सितम्बर 1979 में लगाए गए अनुमान के अनुसार फसल का कुल नुकसान लगभग 165 करोड़ रूपए का था कृशकों को इस तबाही के समय सहायता करने के उद्दे य से सरकार ने तुरन्त कई कदम उठाए जो इस प्रकार है:–

(1) फसल की तबाही की मात्रा को देखते हुए क्रमिक आधार पर भू–राजस्व तथा आबियानों में छूट दी गई;

(2) जिन क्षेत्रों में नुकसान 50 प्रति ात से अधिक था, वहां पर 6 महीने के लिए तकावी कर्जों की वसूली स्थगित कर दी गई;

(3) भू–राजस्व के बकाया की वसूली स्थगित कर दी गई;

(4) सूखाग्रस्त क्षेत्रों में चारा 20 रूपए प्रति क्विंटल की रियायती दर पर बांटा गया एवं तकावी इस दर पर दी गई। पृथक से चारे पर भी अनुदान दिया गया।

सरकार ने कृशि निवे ाौं एवं चारे के लिए 1.79 करोड़ रूपये तथा तकावी के लिये 5.39 करोड़ रूपये दिये। भारत सरकार से 15 करोड़ रूपये के ऋण तथा 5 करोड़ रूपये का अनुदान देने की प्रार्थना की गई थी। इसके विपरीत उस समय केंद्रीय सरकार ने 50 लाख रूपये लघु तथा सीमान्त किसानों को

रबी की फसल के लिये बीज खरीदने के लिये, एवं 4 करोड़ रूपये बड़ी व मध्यम सिंचाई योजनाओं के लिये, बतौर वि ोश सहायता दिये, जोकि सूखाग्रस्त क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार सुविधा प्रदान करने के लिए चलाई जानी थी। चूंकि यह सहायता हमारी आव यकता के अनुरूप नहीं थी, इसलिये केंद्रीय सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह इस रा ाी को बढ़ाए।

मेवात विकास बोर्ड

सरकार द्वारा राज्य के पिछड़े हुये क्षेत्रों के विकास के लिये काफी कार्य किया गया है, परन्तु फिर भी कुछ क्षेत्र ऐसे है जहां समन्वित एवं चहुमुंखी विकास की समुचित आव यकता हैं। ऐसा एक क्षेत्र मेवात का है, जोकि काफी समय से उपेक्षित था। राज्य सरकार ने बाढ़ नियंत्रण कार्यों द्वारा इस क्षेत्र की बाढ़ की समस्या का हल तो कर दिया है, परन्तु अब यहां अन्य विकास कार्यों को अत्यन्त तीव्रता के साथ चलाये जाने की आव यकता हैं। इस ध्येय से सरकार ने इस वर्श मेवात विकास बोर्ड की स्थापना ही है, जिसे कि इस क्षेत्र की समस्याओं को भीघ्रता से सुलझाने एवं विकास कार्य तेजी से करने में बोर्ड सफल होगा।

अनुमानित घाटे को पूरा करने का उपाय

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सदन को राज्य की वर्तमान वितीय स्थिति वर्श 1980–81 के बजट अनुमान तथा विभिन्न विभागों द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यक्रमों का विवरण

दिया है। जैसा कि माननीय सदस्यों को अवगत करया जा चुका है, राज्य की वितीय स्थिति को प्राकृतिक आपदाओं के कारण काफी हानि उठानी पड़ी लेकिन फिर भी 1978–79 के दौरान 215. 32 करोड़ रूपए की परियोजना के विरूद्ध कुल 193.56 करोड़ रूपए खर्चा किया जा सका। इससे यह स्पश्ट है कि हमारा लक्ष्य राज्य के लोगों की भलाई के लिए विकास कार्यक्रमों को तीव्रता के साथ कियान्वित करना है। चालू वर्श के लिए आयोजन परिव्यय सं ाोधित अनुमान 219.76 करोड़ रूपए है तथा राज्य सरकार द्वारा विकास कार्यों को पूरा करने के लिए अभूतपूर्व चेश्टा की जा रही है। आगामी वर्श की योजना का अनुमानित प्रावधान 240.50 करोड़ रूपए का रखा गया है, जिससे स्पश्ट है कि राज्य सरकार अपने उद्दे यों की पूर्ति के लिए दृढ़ संकल्प है एवं इस उद्दे य की पूर्ति के लिये प्रभावी तथा ठोस कदम उठाए जा रहे है। आगामी वर्श 1980–81 के आयोजन परिव्यय को पूरा करने के लिए 1980–81 के अनुमान अनुसार 31.14 करोड़ रूपए का घाटा होगा। वेतन आयोग की सिफारि ाों पर सरकार के अन्तिम निर्णय के फलस्वरूप कुछ हद तक व्यय में और वृद्धि एवं तदानुसार घाटे में वृद्धि की संभावना है। परन्तु दूसरी ओर राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि वर्श के आरम्भ में उनके द्वारा दिए गए 10 करोड़ रूपए के अर्थोपाय ऋण तथा वर्श के दौरान उनके द्वारा रासायनिक खादों की खरीद के लिए दिए गए 3 करोड़ रूपए के लघु अवधि ऋण की वसूली इस वर्श न की जाए। इन ऋणों की वसूली राज्य द्वारा प्राकृतिक

आपदाओं का सामना करने के फलस्वरूप पैदा हुई विशम स्थिति को देखते हुए आगामी 10 वर्श में किए जाने की प्रार्थना भारत सरकार से की गई है। हमारी यह आ ाा है कि केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य की परिस्थितियों को देखते हुए यहा प्रार्थना स्वीकार कर ली जाएगी। इस प्रकार इन ऋणों की अदायगी दीर्घकालीन किए जाने से राज्य के आय साधन में वेतन आयोग की सिफारि ाों से उत्पन्न सम्भावित अवनति का अधिकां ा भाग पूरा हो जायेगा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा अपव्यय को रोकने की कठोर कार्यवाही की जाएगी तथा आय साधनों में उत्प्लावकता की भी उम्मीद है जिसके फलस्वरूप 1980–81 के अन्त के घाटे में और भी कमी सम्भव है।

राज्य के वितीय साधनों पर कड़ी निगरानी रखने तथा संभावित उत्प्लावकता के प चात भी आव यकता उत्पन्न होने पर, यथा–संभव, समयानुसार अतिरिक्त वितीय साधन जुटाने पर भी विचार कर लिया जायेगा। किसानों तथा गरीब जनता के कल्याण के लिए तथा जनता को सामाजिक एव आर्थिक न्याय देने के लिये सरकार कटिबद्ध है। हमारे सामने विकास कार्यों एवं सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए बड़ी भारी चुनौती है जिसे कि इस सरकार ने स्वीकार किया है। वर्तमान बजट सरकार द्वारा अपने लक्ष्य पूरे करने की दि ाा में एक प्रयास है और मैं आ ाा करता हूं कि सदन के सहयोग से हम इस प्रयास में सफलता अव य प्राप्त कर पायेंगे।

आभार प्रद र्शन

अपना भाशण समाप्त करने से पूर्व मैं वित विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहूंगा एवं उनके द्वारा किए गये परिश्रम की सराहना करूंगा जिसके कारण मैं बजट अनुमानों को इस माननीय सदन के सम्मुख निर्धारित तिथि पर प्रस्तुत कर सका हूं। मैं महालेखाकार हरियाणा के प्रति भी उन द्वारा दी गई अमूल्य सहायता के लिए आभार प्रकट करता हूं। बजट के मुद्रण में सहयोग देने के लिए मै चंडीगढ़ प्रशासन का भी आभारी हूं।

अब मैं 1980–81 के बजट अनुमान माननीय सदस्यों के विचार तथा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करता हूं।

जय हिन्द। (तालियॉ)

Mr. Chairman: Hon'ble Members, the House stands adjourned till 9.00 a.m. tomorrow, the 11th March, 1980.

(The Sabha then *adjourned till 9.00 hours on Tuesday, the 11th March, 1980.)